



UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

ANNEXURE-3

Ref: UKPCB/ROH/RTI/22/910 - 327

Dt- 11/07/22

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board

Diry No. 2267.

Date: 12/7/22

विषय- मा0 एन0 जी0 टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-264 /2021 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183-534/2022/499 दिनांक 27.06.2022 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 264/2021 समस्त ग्रामवासी ग्राम-गैरखाल, धनियाकोट, बादरकोट एवं रतौड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 के अनुपालन में तहसील-बेतालघाट, जिला-नैनीताल में स्थित मै0 मॉ नन्दा स्टोन केशर, बैजनाथ स्टोन स्टोन इन्डस्ट्रिज एंव मॉ गिरजा स्टोन केशर का निरीक्षण दिनांक 07 व 08 जुलाई 2022 को किया गया। निर्देशानुसार निरीक्षण आख्या आवश्यक संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय

(डॉ0 डी0के0 जोशी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1
क्षेत्रीय अधिकारी

NSOR
13/7/22

तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल में स्थापित/संचालित स्टोन केशर की निरीक्षण आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 264/2021 में पारित आदेश दिनांक 07/04/2022 के अनुपालन में बेतालघाट क्षेत्र में स्थापित 03 स्टोन केशर (1) मै० श्री मॉ नन्दा स्टोन केशर (2) मै० बैजनाथ स्टोन इन्डस्ट्रिज (3) मै० श्री मॉ गिरिजा स्टोन केशर, का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। मूल आवेदन सं० 264/2021 समस्त ग्रामवासी, ग्राम- गैरखाल, धनियाकोट, बादर कोट, रतौंडा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दि० 07.04.2022 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में निम्न आदेश पारित है।

1. The Tribunal directed the State PCB to ascertain facts and take remedial action and file an action taken.
2. In pursuance of above, an action taken report has been filed on 09.02.2022 after undertaking inspection of the area on 04.01.2022. It is stated that at the inspection the stone crushers were not in operation but they had made necessary provisions for water sprinkler, covering with CGI sheets for dust control, wind breaking wall, metalled roads and water spraying in green belts. Reference has also been made to earlier order of this Tribunal on O.A. No. 132 of 2021, Manoj Joshi v/s State of Uttarakhand & Ors. Which also involved the said three stone crushers. The Tribunal found the violations and directed remedial action. The State PCB has assessed compensation for the violations vide order dated 02.02.2022.
3. We have considered the matter. We find the report to be unsatisfactory. On the one hand report filed on 09.02.2022 mentions compliances, on the other directions under the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 dated 02.02.2022 have been issued mentioning violations as on 16.10.2021:-
 01. The unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
 02. The unit shall provide adequate pucca settling tanks for waste water treatment.
 03. The unit shall provide water sprinklers with proper pressure as per the State Policy, 2020.
 04. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
 05. The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.
 06. The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
 07. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020"
4. If Stand of the PCB about violations is to be accepted, report dated 09.02.2022 recording compliance is contradictory. Further, it is not clear why inspection was undertaken when the stone crushers, were not in operation. Statement of PP about the quantity of water used appears to have been accepted, without any verification. Permission for the units is said to have been renewed for 10 years but it is not clear how such renewal has been granted when there were violations. To say the least, the report has not been furnished in a responsible manner. It is possible to draw an inference that the persons signing the report are colluding with the violators, which aspect needs to be verified at a higher responsible level in the administration in the interest of probity. Accordingly, we reject the report and direct proper verification and filing of a duly verified factual and action taken report, explaining the contradictions pointed out hereinabove. The report may also mention the ambient air quality and particulate matter data around the operating crushers, source of water for sprinkling and distance from agricultural and habitation. The report may be filed within one month by e-

AG

ST

mailto:judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 264/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 तथा बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/सा-183-534/2022/499 दिनांक 27.06.2022 के अनुपालन में तीनों स्टोन केशरों तहसील बेतालघाट जिला-नैनीताल में स्थित है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07 व 08 जुलाई 2022 को स्टोन केशरों का निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

A. मै० श्री माँ नन्दा स्टोन केशर, नैनी चौक, ग्राम- दरमिन, तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल।



Fig.(01) Location of the unit from the Habitation (Source:Google Earth)

- (i) मै० श्री माँ नन्दा स्टोन केशर, नैनी चौक, ग्राम-दरमिन तहसील-बेतालघाट, जिला-नैनीताल के खाता संख्या-19 के खसरा संख्या- 71, 72, 73, 74 खाता संख्या- 04, 16, 19, 24, 25 के खसरा सं० 79, 80ख, 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100क, 124, 101, 103 एण्ड 104 कुल रक्बा 2.138 है० क्षेत्रफल में स्थापित है। स्टोन केशर द्वारा रिवर बैंड मैटेरियल की कशिंग तथा स्कीनिंग प्रक्रिया द्वारा 45 टन/घन्टा विभिन्न आकार एवं मापों के स्टोन ग्रेट तथा सैंड का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय केशर संचालन में था। प्रोसेस फलों चार्ट संलग्न। (संलग्नक-01)
- (ii) इकाई द्वारा धूल नियंत्रण हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-02)
- (iii) इकाई द्वारा जनित अपशिष्ट जल के उपचार एवं पुनः चक्रण हेतु पक्के सेटिलिंग टैंक का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-03)
- (iv) इकाई में केशर व कैंवयर बैल्टों को कवर्ड किया गया है तथा धूल जनित बिन्दुओं पर उचित दाब युक्त Water Sprinklers स्थापित है। (संलग्नक-04)
- (v) इकाई के चारों तरफ हरित पट्टीका का निर्माण तीन कतारों में की गयी है तथा हरित पट्टीका की चौड़ाई लगभग 10 फीट है। (संलग्नक-05)
- (vi) इकाई परिसर में पक्के मार्गों का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-06)

(Handwritten signatures and marks)

- (vii) निरीक्षण के दौरान इकाई में पानी के छिड़काव हेतु Water Tankers की व्यवस्था है। जिसकी सत्यापित Log Book संलग्न है। (संलग्नक-07)
- (viii) इकाई द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट एवं पत्कराइजर अनुज्ञा नीति 2020 में निर्धारित पर्यावरणीय मानको का अनुपालन किया जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत स्टोन केशर के मानक व निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा अनुपालन कार्यवाही का विवरण निम्नवत है।
- स्टोन केशर में धूल नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर Water Sprinklers तथा Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है। जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-02 के अनुसार।)
 - स्टोन केशर द्वारा परिसर के चारों ओर जी0आई0 सीट के माध्यम से विन्ड ब्रेकिंग वॉल की स्थापना की गयी है। स्थापित वॉल की ऊचाई लगभग 15 फीट है। (संलग्नक-08)
 - स्टोन केशर के परिसर में Metalled Road का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-06 के अनुसार।)
 - स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु रोड पर टैंकर एवं Water Sprinklers के माध्यम से पानी की छिड़काव की व्यवस्था की गई है। टैंकर की सत्यापित Log Book संलग्न है। (संलग्नक-09)
 - इकाई के चारों तरफ हरित पट्टीका का निर्माण तीन कतारों में की गयी है तथा हरित पट्टीका की चौड़ाई लगभग 10 फीट है। (संलग्नक-05 के अनुसार।)
 - निरीक्षण के दौरान स्टोन केशरमें केंसिंग बिन्दु से 10 मीटर के अन्दर वायु गुणवत्ता (एस0पी0एम0) अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा-407.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-10)
- (ix) स्टोन केशर इकाई के चारों तरफ विन्ड ब्रेकिंग वॉल के समीप परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया गया है। विश्लेषण आख्या बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-11)
- (x) इकाई को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 444/VII-1/2019/12 स्टोन केशर/15 देहरादून दिनांक 05.03.2019 के द्वारा दिनांक 19.11.2016 से आगामी 05 वर्ष दिनांक 18.11.2021 तक अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। जिस के पश्चात् भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2148/स्टो0के0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-2022 दिनांक 25.09.2021 द्वारा दिनांक 19.11.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-12)
- (xi) इकाई के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के पत्र दिनांक 05.01.2022 के द्वारा दिनांक 17.08.2021 (संयुक्त निरीक्षण की तिथि) से दिनांक 04.01.2022 (अनुपालन की तिथि) तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। बोर्ड मुख्यालय पत्रांक दि0 02.02.2022 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 166500/- आरोपित की गयी थी। जोकि इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय में 04.02.2022 को जमा की गयी थी। (संलग्नक-13)
- (xii) इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति दिनांक 31.03.2026 तक निर्गत की गयी है। (संलग्नक-14)
- (xiii) इकाई में जल की खपत, नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट फबबारों तथा छिड़काव घरेलु उपयोग में किया जाता है जिसकी आपूर्ति बोर वैल के माध्यम से की जाती है। उद्योग को 50,000 Lit/Day क्षमता के

बोरवैलकी स्थापना हेतु अनुमति सब डिवीजन आफिसर/परगना मजिस्ट्रेट, कोश्यों कुटौली से प्राप्त है। इकाई द्वारा सी0जी0डबलू0ए0 से अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है। बोर वैल की जल निकासी बिन्दु पर टैम्पर्डप्रुफ वाटर मीटर स्थापित किया गया है। निरीक्षण के दौरान इकाई के बोर वैल में स्थापित जल मीटर से जल निकासी का सत्यापन किया गया है। जल निकासी 3.5 KLप्रति घण्टा है। इस संबंध में उद्योग की सत्यापित जल खपत लॉग बुक संलग्न है। (संलग्नक-15)

- (xiv) इकाई की स्थापना हेतु स्थल की संयुक्त जॉच दिनांक 28.12.2014 में की गयी है। आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 2920/V-II-11/68-रिट/2008 देहरादून दिनांक 18.11.2011 में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुरूप है। (संलग्नक-16)

B. मै0 बैजनाथ स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 ग्राम- तल्लागांव तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल।




Fig.(02) Location of the unit from the Habitation (Source:Google Earth)

- (i) मै0 बैजनाथ स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 ग्राम- तल्लागांव, तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल के खसरा संख्या-348अ, 349, 350, 351, 352, 353अ, 355अ, 354अ, 291अ एण्ड 291स कुल रक्बा 1.930 है0 मध्ये 1.260 है0 क्षेत्रफल में स्थापित है। स्टोन केशर द्वारा रिवर बैंड मैटेरियल की कशिंग तथा स्कीनिंग प्रक्रिया द्वारा 50 टन/घण्टा विभिन्न आकार एवं मापों के स्टोन ग्रेट तथा सैंड का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय केशर संचालन में था। प्रोसेस प्लॉ चार्ट संलग्न। (संलग्नक-17)
- (ii) इकाई द्वारा धूल नियंत्रण हेतु स्टोन केशर नीति-2020 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-18)
- (iii) इकाई में केशर व कैंचयर बैल्टों को कवर्ड किया गया है तथा धूल जनित बिन्दुओं पर उचित दाब युक्त Water Sprinklers स्थापित है। (संलग्नक-19)
- (iv) इकाई के चारों तरफ हरित पट्टीका का निर्माण तीन कतारों में की गयी है तथा हरित पट्टीका की चौड़ाई लगभग 08 फीट है। (संलग्नक-20)
- (v) इकाई में जल की खपत, आरबीएम की धुलाई, फबबारों, छिडकाव तथा घरेलु उपयोग में होता है। जिस की आपूर्ति बोर वैल के माध्यम से की जाती है। बोर वैल जल निकासी बिन्दु पर टैम्पर्डप्रुफ वाटर मीटर स्थापित किया गया है। निरीक्षण के दौरान इकाई में जल मीटर के संचालन की दशा में जल निकासी का सत्यापन किया गया है। जल निकासी 01 KLप्रति घण्टा है। (संलग्नक-21)

[Handwritten signatures and marks]

- (vi) इकाई में जल की आपूर्ति हेतु बोर वेल स्थापित है तथा 10m^3 प्रतिदिन भू-जल के उपयोग की अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त की गयी है तथा जल खपत के रिकॉर्ड हेतु लॉग बुक बनायी गयी है। निरीक्षण के दौरान सत्यापित लॉग बुक प्रस्तुत की गयी है। (संलग्नक-22)
- (vii) इकाई द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति 2020 में निर्धारित पर्यावरणीय मानको का अनुपालन किया जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत स्टोन केशर के मानक व निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा अनुपालन कार्यवाही का विवरण निम्नवत है।
- स्टोन केशर में धूल नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर Water Sprinklers तथा Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है। जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-18 के अनुसार।)
 - स्टोन केशर द्वारा परिसर के चारों ओर जी0आई0 सीट के माध्यम से विन्ड ब्रेकिंग वॉल की स्थापना की गयी है। स्थापित वॉल की ऊचाई लगभग 15 फीट है। (संलग्नक-23)
 - स्टोन केशर के परिसर में Metalled Road का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-24)
 - स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु रोड पर टैंकर एवं Water Sprinklers के माध्यम से पानी की छिड़काव की व्यवस्था की गई है। टैंकर की सत्यापित Log Book संलग्न है। (संलग्नक-25)
 - इकाई के चारों तरफ हरित पट्टीका का निर्माण तीन कतारों में की गयी है तथा हरित पट्टीका की चौड़ाई लगभग 08 फीट है। (संलग्नक-20 के अनुसार।)
 - निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में केसिंग बिन्दु से 10 मीटर के अन्दर वायु गुणवत्ता (एस0पी0एम0) अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा- $419.9\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-26)
 - स्टोन केशर इकाई के चारों तरफविन्ड ब्रेकिंग वॉल के समीप परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया गया है। विश्लेषण आख्या बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-27)
- (viii) स्टोन केशर इकाई के चारों तरफ विन्ड ब्रेकिंग वॉल के समीप परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया गया है। विश्लेषण आख्या बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-27)
- (ix) इकाई को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1912/VII-1/49-स्टोन केशर/2016 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा आगामी 05 वर्ष दिनांक 19.12.2021 तक अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। जिस के पश्चात् भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2225/स्टो0के0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-2022 दिनांक 28.09.2021 द्वारा दिनांक 20.12.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-28)
- (x) इकाई के विरुद्धक्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के पत्र दिनांक 05.01.2022 के द्वारा दिनांक 17.08.2021 (संयुक्त निरीक्षण की तिथि) से दिनांक 04.01.2022 (अनुपालन की तिथि) तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। बोर्ड मुख्यालय पत्रांक दि0 02.02.2022 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्तिरू0 166500/-आरोपित की गयी थी। जोकि इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय में 04.02.2022 को जमा की गयी थी।(संलग्नक-29)



- (xi) इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति 31.03.2026 तक निर्गत की गयी है। (संलग्नक-30)
- (xii) इकाई की स्थापना हेतु स्थल की संयुक्त जॉच दिनांक 30.11.2016 में की गयी है। आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल औद्योगिक विकास अनुभाग के शासनादेश सं० 1758/VII-1/68-रिट/08 देहरादून दिनांक 19.11.2016 में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुरूप है। (संलग्नक-31)

C. मै० श्री माँ गिरिजा स्टोन केशर ग्राम-तल्लागांव, तहसील-बेतालघाट, जिला-नैनीताल।




Fig.(03) Location of the unit from the Habitation (Source:Google Earth)

- (i) मै० श्री माँ गिरिजा स्टोन केशर, ग्राम-तल्लागांव, तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल के खसरा संख्या-319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 347, और 348 कुल रक्बा 1.855 है० क्षेत्रफल में स्थापित है। स्टोन केशर द्वारा रिवर बैंड मैटेरियल की कशिंग तथा स्कीनिंग प्रक्रिया द्वारा 6000टन/माह विभिन्न आकार एवं मापों के स्टोन ग्रेट तथा सैंड का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय केशर संचालन में था। प्रोसेस प्लॉ चार्ट संलग्न। (संलग्नक-32)
- (ii) इकाई द्वारा धूल नियंत्रण हेतु स्टोन केशर नीति-2020 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-33)
- (iii) इकाई में केशर व कैंवयर बैल्टों को कवर्ड किया गया है तथा धूल जनित बिन्दुओं पर उचित दाब युक्त Water Sprinklers स्थापित है। (संलग्नक-34)
- (iv) इकाई के चारों तरफ हरित पट्टीका का निर्माण तीन कतारों में की गयी है तथा हरित पट्टीका की चौड़ाई लगभग 10 फीट है। (संलग्नक-35)
- (v) इकाई में जल की खपत, आरबीएम की धुलाई, फबबारों, छिडकाव तथा घरेलु उपयोग में होता है। जिस की आपूर्ति बोर वैल के माध्यम से की जाती है। बोर वैल जल निकासी बिन्दु पर टेम्पर्डपुफ वाटर मीटर स्थापित किया गया है। निरीक्षण के दौरान इकाई में जल मीटर के संचालन की दशा में जल निकासी का सत्यापन किया गया है। जल निकासी 03.5 KLप्रति घण्टा है। (संलग्नक-36)
- (vi) इकाई में जल की आपूर्ति हेतु बोर वैल स्थापित है तथा 20m³ प्रतिदिन भू-जल के उपयोग की अनुमति सी०जी०डब्लू०ए० से प्राप्त की गयी है तथा जल खपत के रिकॉर्ड हेतु लॉग बुक बनायी गयी है। निरीक्षण के दौरान सत्यापित लॉग बुक प्रस्तुत की गयी है। (संलग्नक-37)

[Handwritten signatures and marks]

- (vii) इकाई द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति 2020 में निर्धारित पर्यावरणीय मानको का अनुपालन किया जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत स्टोन केशर के मानक व निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा अनुपालन कार्यवाही का विवरण निम्नवत है।
- स्टोन केशर में धूल नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर Water Sprinklers तथा Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है। जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-33 के अनुसार।)
 - स्टोन केशर द्वारा परिसर के चारों ओर जी0आई0 सीट के माध्यम से विन्ड ब्रेकिंग वॉल की स्थापना की गयी है। स्थापित वॉल की ऊंचाई लगभग 15 फीट है। (संलग्नक-38)
 - स्टोन केशर के परिसर में Metalled Road का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-39)
 - स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु रोड पर टैंकर एवं Water Sprinklers के माध्यम से पानी की छिड़काव की व्यवस्था की गई है। टैंकर की सत्यापित Log Book संलग्न है। (संलग्नक-40)
 - इकाई के चारों तरफ हरित पट्टीका का निर्माण तीन कतारों में की गयी है तथा हरित पट्टीका की चौड़ाई लगभग 10 फीट है। (संलग्नक-35)
 - निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर में क्रेसिंग बिन्दु से 10 मीटर के अन्दर वायु गुणवत्ता (एस0पी0एम0) अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा-383.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-41)
- (viii) स्टोन केशर इकाई के चारों तरफ विन्ड ब्रेकिंग वॉल के समीप परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया गया है। विश्लेषण आख्या बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-42)
- (ix) इकाई को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1741/VII-1/38-स्टोन केशर/2016 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा आगामी 05 वर्ष की अवधि तक अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। जिस के पश्चात् भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2146/स्टो0के0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-2022 दिनांक 25.09.2021 द्वारा दिनांक 16.12.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-43)
- (x) इकाई के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के पत्र दिनांक 05.01.2022 के द्वारा दिनांक 17.08.2021 (संयुक्त निरीक्षण की तिथि) से दिनांक 04.01.2022 (अनुपालन की तिथि) तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। बोर्ड मुख्यालय पत्रांक दि0 02.02.2022 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 166250/- आरोपित की गयी थी। जोकि इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय में 04.02.2022 को जमा की गयी थी। (संलग्नक-44)
- (xi) इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से संचालानार्थ सहमति 31.03.2026 तक निर्गत की गयी है। (संलग्नक-45)
- (xii) इकाई में जल की खपत, आरबीएम की धुलाई, फबबारों, छिड़काव तथा घरेलु उपयोग में होता है। जिस की आपूर्ति बोर वैल के माध्यम से की जाती है। बोर वैल जल निकासी बिन्दु पर टैम्पर्डप्रुफ वाटर मीटर स्थापित किया गया है। निरीक्षण के दौरान इकाई में जल मीटर के संचालन की दशा में जल निकासी का सत्यापन किया गया है। जल निकासी 03.5 KLप्रति घण्टा है। (संलग्नक-46)



- (xiii) इकाई में जल की आपूर्ति हेतु बोर वेल स्थापित है तथा 20 KL प्रतिदिन भू-जल के उपयोग की अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त की गयी है तथा जल खपत के रिकॉर्ड हेतु लॉग बुक बनायी गयी है। निरीक्षण के दौरान सत्यापित लॉग बुक प्रस्तुत की गयी है। (संलग्नक-37 के अनुसार।)
- (xiv) इकाई की स्थापना हेतु स्थल की संयुक्त जाँच दिनांक 27.09.2016 में की गयी है। आख्यानसार प्रस्तावित स्थल औद्योगिक विकास अनुभाग के शासनादेश सं0 1026/VII-1/2015/68-रिट/2008 देहरादून दिनांक 21.07.2015 में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुरूप है। (संलग्नक-47)

निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर के आस पास स्थित ग्राम वासियों से सम्पर्क कर प्राप्त सुझाव व शिकायत:-

1. निरीक्षण टीम द्वारा मै0 श्री मॉ नन्दा स्टोन केशर के पूर्व दिशा नैनीचक नामक स्थान पर ग्रामवासी श्री गोपाल सिंह कैंडा, दीवान सिंह कैंडा तथा जगमोहन सिंह मेहरा से वार्ता की गयी तथा मै0 बैजनाथ स्टोन इन्डस्ट्रिज प्रा0लि0 एवं मै0 श्री मॉ गिरजा स्टोन केशर, के निकटवर्ती ग्राम-दाडिमा रतौड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य कविता देवी, प्रधान मंजू देवी तथा उप प्रधान मदन सिंह व अन्य ग्रामवासीयों से भी वार्ता की गयी। ग्रामीणों द्वारा क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों की मरम्मत कराने व संपर्क मार्गों पर नियमित रूप से वाटर टैंकरों से पानी का छिड़काव हेतु अनुरोध किया गया है।
2. उक्त तीनों स्टोन केशर तहसील-बेतालघाट में स्थित है तथा उल्लेखित अन्य ग्राम गैर खाल धनियाकोट तथा बादर कोट की स्टोन केशरों से लगभग 04 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

स्टोन केशरों से कृषि भूमि तथा आवादी का सत्यापन-

उक्त तीनों स्टोन केशरों के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 07 व 08 जुलाई 2022 के दौरान तीनों स्टोन केशरों के बाहर कृषि भूमि पायी गयी है। जो वर्तमान में बंजर है, स्टोन केशरों से दूरीयों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। इस संबंध में कार्यालय उप जिलाधिकारी कोश्या कुटौली से दूरीयों के संबंध में प्राप्त आख्या संलग्न है। (संलग्नक-48)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को निर्गत आदेशों के अनुपालन में अन्य वॉछित सूचनाएँ-

1. मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 132/2021 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2021 तथा बोर्ड मुख्यालय पत्रांक दिनांक 06.07.2021 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत स्टोन केशरों का निरीक्षण कर दिनांक 16.09.2021 को आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी। जिसके कम में बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्रांक दिनांक 06.10.2021 को संयुक्त समिति की आख्या में अंकित बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया था। (संलग्नक-49)
2. बोर्ड मुख्यालय के निर्देशों तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 16.12.2021 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा प्रश्नगत स्टोन केशरों का निरीक्षण दिनांक 04.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर स्वयं के कारणों से बन्द पाये गये तथा तददिनांक तक स्टोन केशरों द्वारा मुख्यालय पत्रांक दिनांक 06.10.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया था उल्लंघन के दिवसों तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर इस कार्यालय पत्रांक दिनांक 05.01.2022 द्वारा दिनांक 17.08.2021 (संयुक्त निरीक्षण की तिथि) से दिनांक 04.01.2022 (अनुपालन की तिथि) तक बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी। (संलग्नक-50)

[Handwritten signatures and initials]

3. उक्त के कम बोर्ड मुख्यालय पत्रांक दिनांक 02.02.2022 द्वारा संदर्भित स्टोन केशरों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी। स्टोन केशरों द्वारा दिनांक 04.02.2022 को बोर्ड मुख्यालय में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर दी गयी। संदर्भित स्टोन केशरों को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून द्वारा निर्गत अनुज्ञा नवीनीकरण केपश्चात् प्रश्नगत स्टोन केशरों को द्वारा प्रस्तुत एन0ए0बी0एल0 तथा एम0ओ0ई0एफ0 से अनुमोदित लैब की रिपोर्ट तथा पर्यावरणीय मानको के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका आवागमन हेतु पक्के मार्ग तथा विन्ड ब्रेकिंग वॉल आदि के भौतिक सत्यापन के आधार पर 05 वर्ष हेतु दिनांक 31.03.2026 तक संचालनार्थ सशर्त सहमति निर्गत की गयी है।(संलग्नक-51)


निष्कर्ष:-

1. मै0 श्री माँ नन्दा स्टोन केशर, मै0 बैजनाथ स्टोन इंडस्ट्रीज प्रा0लि0 तथा मै0 श्री माँ गिरिजा स्टोन केशर द्वारा जल/वायु अधिनियमों व पर्यावरण अधिनियम तथा स्टोन केशर अनुज्ञा नीति-2020 का अनुपालन किया जा रहा है।
2. उक्त तीनों स्टोन केशरों में तथा आसपास के क्षेत्र में की गयी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण रिपोर्ट के अनुसार एस0पी0एम0, आर0एस0पी0एम0 व ध्वनि अनुश्रवण बोर्ड मानको के अनुरूप है।
3. स्टोन केशरों से रिवर बैंड मेटेरियल परिवहन के दौरान धूल/डस्ट उड़ती है। जिसके नियंत्रण हेतु टैंकरो से केशर के अंदर व सम्पर्क मार्गों पर नियमित रूप से जल छिडकाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय व सक्षम अधिकारीद्वारा नियमित अनुश्रवण हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।
4. ट्रकों/डम्परो के आवागमन से परिवहन मार्ग व सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों/परिवहन मार्गों की मरम्मत तथा डामरीकरण हेतु संबंधित विभाग/जिला खनन न्यास को निर्देशित किया जा सकता है।
5. स्टोन केशर से कच्चा माल तथा तैयार माल को खुले डम्परो में परिवहन करने के दौरान धूल/डस्ट उड़ती है। अतः प्रयुक्त वाहनों को उचित ढंग से ढक कर परिवहन किया जाना उचित होगा। इस हेतु परिवहनविभाग को निर्देशित किया जा सकता है।



डॉ0 डी0के0 जोशी
(क्षेत्रीय अधिकारी)


आयुष नेगी
(वैज्ञा0सहायक)


हरीश चन्द्र जोशी
(सहा0 वैज्ञा0अधिकारी)


शुभम गुसाई
(अवर अभियन्ता)

PROCESS FLOW DIAGRAM MAA NANDA STONE CRUSHER



Di st st st

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat , Dist. - Nainital



Asi

10

11

12

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



At

At

At

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



AFI H R 107

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat , Dist. – Nainital



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten text in blue ink, possibly initials or a name.

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital




ASI AS A-1 AS

SHRI MAA NANDA STONE CRUSHER

WATER TANKER LOG BOOK

DATE	TANK NO.	TOTAL ROUNDS	PLANT RUNNING HOURS	KM RUNNING PER DAY
1-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
2-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
3-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
4-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
5-Apr-22	UK04Z-6739	3	PLANT CLOSED	9 KM
6-Apr-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
7-Apr-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
8-Apr-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
9-Apr-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
10-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
11-Apr-22	UK04Z-6739	3	PLANT CLOSED	9 KM
12-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
13-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
14-Apr-22	UK04Z-6739	3	PLANT CLOSED	9 KM
15-Apr-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
16-Apr-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
17-Apr-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
18-Apr-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
19-Apr-22	UK04Z-6739	3	PLANT CLOSED	9 KM
20-Apr-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
21-Apr-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
22-Apr-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
23-Apr-22	UK04Z-6739	3	PLANT CLOSED	15 KM
24-Apr-22	UK04Z-6739	3	PLANT CLOSED	15 KM
25-Apr-22	UK04Z-6739	3	PLANT CLOSED	15 KM
26-Apr-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
27-Apr-22	UK04Z-6739	6	8 HOURS	18 KM
28-Apr-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
29-Apr-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
30-Apr-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM


 श्री माँ नन्दा स्टाॅर क्रेशर
 नैनी चौक, बेतालघाट
 नैनीताल






SHRI MAA NANDA STONE CRUSHER

WATER TANKER LOG BOOK

DATE	TANK NO.	TOTAL ROUNDS	PLANT RUNNING HOURS	KM RUNNING PER DAY
1-May-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
2-May-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
3-May-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
4-May-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
5-May-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
6-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
7-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
8-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
9-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
10-May-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
11-May-22	UK04Z-6739	4	PLANT CLOSED	12 KM
12-May-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
13-May-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
14-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
15-May-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
16-May-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
17-May-22	UK04Z-6739	4	PLANT CLOSED	12 KM
18-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
19-May-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
20-May-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
21-May-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
22-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
23-May-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
24-May-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
25-May-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
26-May-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
27-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
28-May-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
29-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
30-May-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
31-May-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
1-Jun-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
2-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
3-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
4-Jun-22	UK04Z-6739	6	PLANT CLOSED	18 KM
5-Jun-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
6-Jun-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
7-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
8-Jun-22	UK04Z-6739	6	PLANT CLOSED	18 KM
9-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
10-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
11-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM

श्री माँ नन्दा स्टाॅन क्रशर
नैनी चैक, बेतालघाट
नैनीताल

12-Jun-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
13-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
14-Jun-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
15-Jun-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
16-Jun-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
17-Jun-22	UK04Z-6739	5	5 HOURS	15 KM
18-Jun-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
19-Jun-22	UK04Z-6739	5	5 HOURS	15 KM
20-Jun-22	UK04Z-6739	5	5 HOURS	15 KM
21-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
22-Jun-22	UK04Z-6739	5	5 HOURS	15 KM
23-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
24-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
25-Jun-22	UK04Z-6739	6	7 HOURS	18 KM
26-Jun-22	UK04Z-6739	5	5 HOURS	15 KM
27-Jun-22	UK04Z-6739	5	5 HOURS	15 KM
28-Jun-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
29-Jun-22	UK04Z-6739	5	6 HOURS	15 KM
30-Jun-22	UK04Z-6739	5	7 HOURS	15 KM
1-Jul-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
2-Jul-22	UK04Z-6739	6	5 HOURS	18 KM
3-Jul-22	UK04Z-6739	6	6 HOURS	18 KM
4-Jul-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
5-Jul-22	UK04Z-6739	6	PLANT CLOSED	18 KM
6-Jul-22	UK04Z-6739	5	PLANT CLOSED	15 KM
7-Jul-22				

श्री माँ गन्दा स्टार क्रेशर
नैनी चैक, बेतालघाट
नैनीताल

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signatures and initials in blue ink.

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat , Dist. - Nainital



श्री
श्री
श्री
श्री



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/46/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher,
Nainichak, Betaighat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gusain JE
Sh. Ravindra.Singh Jarout MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	407.7	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer






Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING


- 1 Report No. AAQM/HLD/47/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher.
Nainichak, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 08.07.2022 to 09.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gusain JE
Sh. Ravindra Singh Jarout MA
- 5 Monitoring Location South-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.8	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.6	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	198.5	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	93.8	100


*Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer



Regional Office
 Uttarakhand Pollution Control Board
 Awas Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/48/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher.
 Nainichak, Betalghat
 Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 08.07.2022 to 09.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gusain JE
 Sh. Ravindra Singh Jarout MA
- 5 Monitoring Location North-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.3	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	16.9	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	163.4	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	71.8	100


 Scientific Assistant


 Asst. Scientific Officer


 Regional Officer





Regional Office
 Uttarakhand Pollution Control Board
 Awas Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/49/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher,
 Nainichak, Betalghat
 Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 08.07.2022 to 09.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gusain JE
 Sh. Ravindra Singh Jarout MA
- 5 Monitoring Location West-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.6	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.3	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	177.8	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	82.5	100


 Scientific Assistant


 Asstt. Scientific Officer


 Regional Officer





Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING


- 1 Report No. AAQM/HLD/50/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher.
Nainichak, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 08.07.2022 to 09.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gusain JE
Sh. Ravindra Singh Jarout MA
- 5 Monitoring Location East-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.7	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.5	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	173.1	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	88.4	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
 Awas Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


NOISE LEVEL MONITORING


1 Report No. Noise/HLD/20/2022-23
 2 Name of Industry & Address M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher,
 Nainichak, Betalghat
 Distt-Nainital (Uttarakhand)
 3 Date of Monitoring 08.07.2022
 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
 Sh. Ravindra Singh Jarout MA
 5 Monitoring Location Within the Premises of Stone Crusher

OBSERVATION

S.No	Monitoring Point	Time	Noise Level dB (A)		
			L max	L min	L eq
1	North-Direction near Wind breaking wall	11:05 -11:15	71.5	51.8	61.3
2	South-Direction near Wind breaking wall	11:30- 11:40	78.5	55.2	66.8
3	East-Direction near Wind breaking wall	11:50 - 12:00	73.8	52.1	64.9
4	West-Direction near Wind breaking wall	12:15 - 12:25	76.5	54.9	65.2
Standard dB (A)					75


 Scientific Assistant


 Asstt. Scientific Officer


 Regional Officer

संख्या : /स्टो0क्र0नवी0/खनन/मू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22.

दिनांक 25 सितम्बर 2021

कार्यालय झाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्वीनिंग प्लांट, पत्थराईजर प्लांट हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 के उप विन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्राक्धानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जॉच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तु उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्राक्धान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल सेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय झाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/मू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन करता हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अचोहरतासरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 09/मू0खनि0ई0/स्टो0क्र0नवी0/नैनी0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा श्री मों नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो0 श्री दीपक शाह के पक्ष में जिला नैनीताल, तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लगगा क्षेत्रान्तगत खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 71 से 74, कुल रकबा 0.626 है0 भूमि के अतिरिक्त खाता संख्या 04, 16, 19, 25 व 24 के खसरा संख्या 78, 79, 80 व, 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100 अ, 124, 101, 103, 104 कुल रकबा 1.512 है0, इस प्रकार कुल रकबा 2.138 है0 भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु अनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या 444/VII-1/2019/12-स्टोन क्रेशर/15 देहरादून दिनांक 05 मार्च 2019 के द्वारा प्रो0 श्री दीपक शाह, श्री मों नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जिला नैनीताल तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लगगा क्षेत्रान्तगत कुल रकबा 0.626 है0 क्षेत्रफल में उक्त स्वीकृत स्टोन संचालन की अनुज्ञा का उक्त नीति के प्रख्यापन की तिथि 19.11.2016 से आगामी पांच वर्ष अर्थात् दिनांक 18.11.2021 तक नवीनीकरण, नीति के अध्याय III के विन्दु संख्या-2 के अवशेष प्राक्धानों का अनुपालन किये जाने तथा अनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी।

1

Ravi

CJ/6

/

Ri

/

/

/

/

/

प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में प्लांट की क्षमता 200 टन/घंटा उल्लिखित की गयी है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के विन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 09/भूखनि0ई0/स्टो0क्रेश0नवी0/नैनी0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 उप विन्दु 2 में निहित प्राक्धान के अन्तर्गत श्री मों नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो० श्री दीपक शाह के पक्ष में जिला नैनीताल, तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लग्गा क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 71 से 74, कुल रकबा 0.626 है० भूमि के अतिरिक्त खाता संख्या 04, 16, 19, 25 व 24 के खसरा संख्या 78, 79, 80 व 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100 अं, 124, 101, 103, 104 कुल रकबा 1.512 है० इस प्रकार कुल रकबा 2.138 है० भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए जनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (विन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल वन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. नीति के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रु० 10,88,000/- (रुपये दस लाख अठासी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशर मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रु० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रु० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लांट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।

Pam

Oyo

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्त निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. श्री मॉ नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो० श्री दीपक शाह, ग्राम रौलिया लग्गा, नैनीताल, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।

25/09/2024
(एस०एल० पैट्रिक)
अपर निदेशक।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be "CMB" and several other scribbles.

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या: 444 /VII-1/2019/12 स्टोन क्रेशर/15

देहरादून, दिनांक: 05 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-687/VII-1/12-स्टोन क्रेशर/2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील बेतालघाट, नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लग्गा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पत्वरसईजर अनुज्ञा नीति, 2011 के प्रावधानानुसार 200 टन प्रति दिन क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 03 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गई तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2018/VII-1/2018/12 स्टोन क्रेशर/15, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 द्वारा उक्त स्टोन क्रेशर की क्षमता 45 टन प्रति घंटा निर्धारित कर स्टोन क्रेशर का विनियमितीकरण किया गया। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 9 एवं अध्याय-III के बिन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 927/खनिज/स्टोनवी०/नैनी०/भूखनि०ई०/2018-19, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 एवं पत्र संख्या-1249/खनन/भूखनि०ई०/नैनी०/स्टोनवी०/2018-19, दिनांक 8 जनवरी, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील बेतालघाट, नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लग्गा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में उक्त स्वीकृत स्टोन क्रेशर संचालन की अनुज्ञा का उक्त नीति के प्रख्यापन की तिथि 19.11.2016 से आगामी 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.11.2021 तक नवीनीकरण नीति के अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के अवशेष प्रावधानों का अनुपालन किये जाने तथा जनहित याचिका सं० 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है -

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 1(1) के प्रावधानानुसार अग्रेत्तर वार्षिक शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, के अधीन करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची होगी।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का संत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
9. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।
12. स्टोन केशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
13. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
14. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण कशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारों की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
15. स्टोन केशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
16. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कविंग की जायेगी। स्कविंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर स्वामी को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

गरिमा रौकली
संयुक्त सचिव

संख्या:- 444 (1)/VII-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 10.10.2018 एवं पत्र दिनांक 08.12.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर, ग्राम रौलिया लग्गा, नैनीचक मय पांच चौक, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

संख्या

- 1- अनुज्ञप्तिधारक का पूरा नाम- श्री मां नन्दा स्टोन कशर द्वारा ग्राम रौलियालग्गा, नैनीचक मय पांच चौक, पट्टी ऊंचाकोट, तह0 बेतालघाट जिला नैनीताल में स्वीकृत स्टोन कशर में उपखनिज भण्डारण के नवीनीकरण की अनुमति।
- 2- अनुज्ञप्ति की अवधि:- 05 वर्ष अर्थात 18 नवम्बर, 2021।
- 3- प्रत्येक समय के एक समय में 50,694 घनमीटर तथा प्रतिवर्ष 85,000।
- 4- भण्डारण का प्रयोजन- कय विकय।
- 5- खनिजों के भण्डारा हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
नैनीताल	बेतालघाट	ग्राम- रौलियालग्गा नैनीचक मय पांच चौक पट्टी ऊंचाकोट, तह0 बेतालघाट जिला नैनीताल।	ग्राम- रौलियालग्गा नैनीचक मय पांच चौक पट्टी ऊंचाकोट, तह0 बेतालघाट जिला नैनीताल।	श्री मां नन्दा स्टोन कशर द्वारा ग्राम रौलियालग्गा, नैनीचक मय पांच चौक, पट्टी ऊंचाकोट, तह0 बेतालघाट जिला नैनीताल के खाता संख्या-19 के खसरा संख्या 71, 72, 73, 74 कुल रकवा 0.626 है0 भूमि जिस पर स्टोन कशर स्वीकृत हैं तथा तथा उससे लगती हुई भूमि के खाता संख्या-04, 16, 19, 25 व 24 के खसरा संख्या 78, 79, 80ब, 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100अ, 124, 101, 103, 104 कुल रकवा 1.512 है0 इस प्रकार कुल रकवा 2.138 है0 क्षेत्रफल में से 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कार्यालय, सड़क, कांटा एवं कशर संयंत्र स्थापित होने के कारण उक्त क्षेत्रफल को पृथक करते हुए शेष रकवा 1.988 है0 क्षेत्रफल एक समय में 59,640 घनमीटर तथा प्रतिवर्ष 1,00,000 घनमीटर में से 15 प्रतिशत कम करते हुए एक समय में 50,694 घनमीटर तथा प्रतिवर्ष 85,000 घनमीटर उपखनिज भण्डारण के नवीनीकरण की अनुमति उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड जिला नैनीताल स्थित हल्द्वानी के पत्रांक-40/भू0ख0नि0ई0/भण्डारण/2018-19 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के प्रस्ताव में संशोधन के अनुसार स्वीकृति।

प्रतिबन्ध:-

- 1 भण्डारणकर्ता भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का लेखा-जोखा नियम-12(1) भण्डारण और प्रेषण का लेखा रजिस्टर के अनुसार प्रपत्र क भण्डारण पर रखेगा और नियमावली 2005 के अन्तर्गत जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी या उपनिदेशक खनन की मॉग पर प्रस्तुत करेगा।
- 2- उपखनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के सही लेखा की एक प्रति प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय, हल्द्वानी को उत्तराखण्ड (अवैध खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 संशोधित नियमावली 2015 के नियम 12 के अनुसार प्रपत्र एल में प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदक वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो भण्डारणकर्ता पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) अधिनियम 2005 संशोधित नियमावली 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।





L: 05ACPFS3032B1ZH



Email : shrimaanandastonecrusher@gmail.com

9837719999
9927874500

संलग्नक-13
56

M/s SHRI MAA NANDA STONE CRUSHER

Regd. Office : H-9, Lower Ground Floor, Durga City Center, Nainital Road, Haldwani (Nainital)

Unit Address : Village-Roliya Lagga, Nainichek, Tehsil - Betalghat, Nainital

f. No.

Date 04/02/2022

Dairy No. 2543 - 15/10

Date 05/02/22

File No.

File Sl. No. Consent

To,
The Member Secretary,
Uttarakhand Pollution Control Board,
46 B, IT Park, Sahastradhara Road,
Dehradun, Uttarakhand.

**Subject: submission of Environmental Compensation of Rs. 1,66,500/.
Ref No. UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/169 Dated 02.02.2022.**

Respected Sir,

With reference of above subject, please find the enclosed DD of Rs. 1,66,500/- as Environmental Compensation imposed on us vide letter No. UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/169 Dated 02.02.2022, issued from **The Kurmanchal Nagar Sahkari Bank Ltd. in favour of Member Secretary , Uttarakhand Pollution Control Board , Payable at Dehradun.**
DD No. 138360 of Rs. 1,66,500/

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For,

Shri Maa Nanda Stone Crusher

Auth. Signatory

CC: Regional Officer, UKPCB, Awas Vikas, Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand.

(Handwritten signatures and initials)

दि कुर्मांचल नगर सहकारी बँक लि.
The Kurmanchal Nagar Sahkari Bank Ltd.
 (H. O. Kurmanchal Bhowan, Tallica, NAINITAL-263002)

Branch : Sanwal Plaza, Durga City Centre,
 Nainital Road, HALDWANI -263139
 IFS Code : KNSB0010011

040221022
 D D M M Y Y

मांगे जाने पर
ON DEMAND PAY Member Secretary Uttarakhand Pollution Control Board
 रुपये
 Rupees One lakh Sixty Six thousand five hundred and

प्राप्त मूल्य के लिए भुगतान
 For Value received

₹ 1,66,500/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	OT	TT	OL	TL	OC	Trn. No.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-------------

कुर्मांचल नगर सहकारी बँक लि.
 For The Kurmanchal Nagar Sahkari Bank Ltd.

(NOT NEGOTIABLE)

Dehradun
 Drawee Branch

Authorized Signatory
 Date No. 16

DCC

Name of the Purchaser... SMNSC

⑈ 138360⑈ 263846005⑈

16

(Handwritten scribbles and marks)



HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board

"Gauradevi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/169

Date: 02.02.2022

Speed Post

M/s Shri Maa Nanda Crusher,
Naini Chowk, Betalghat,
Vill. Darmin, Betalghat,
District Nainital (Uttarakhand)

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/ process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

WHEREAS, M/S Shri Maa Nanda Stone Crusher, located at Naini Chowk, Betalghat, Vill. Darmin, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

WHEREAS, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening

[Handwritten signatures and initials]

58

Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended; and

WHEREAS, based on recommendation of Joint Team, following directions were issued to the Unit i.e. M/S Shri Maa Nanda Stone Crusher, under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, on dated 06.10.2021:

1. The Unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide adequate pucca settling tanks for wastewater treatment.
3. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

WHEREAS, the Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 132/2001, on dated 10.12.2021 *inter alia* issued following directions:

4. We find that though several deficiencies have been noted in the report, no punitive action has been taken for failure in the past or for future till compliance, including assessment and recovery of compensation on polluter pays principle, which is required for enforcing the law of the land. The State PCB may accordingly initiate such action as per law. Further, in terms of new Policy dated 02.01.2020, changed siting criteria be followed for any grant/renewal of consent by the State PCB after the date of the said policy.

WHEREAS, in compliance of the order of the Hon'ble NGT, inspection of the Unit was carried out by officials of Regional Office, Haldwani (Nainital) of this Board on dated 04.01.2022 and recommended for imposition of an environmental compensation due to operation of unit without appropriate air pollution control measures.

NOW THEREFORE, considering the above observations, and in exercise of the powers conferred under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, an environment compensation of Rs. 166,500.00 only is imposed against the occupier(s) of the Unit, in accordance of order of the Hon'ble NGT in the matter of OA No. 593/2017 and subsequent decision taken and procedure adopted by the State Board in its 22nd Board Meeting. The occupier(s) of the Unit shall submit demand draft of Rs.1,66,500.00 in favor of Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board payable at Dehradun within 30 days of issue of above directions. Further, Occupier(s) of the Unit is hereby directed not to operate the Unit without appropriate air pollution control measures and valid Consent to operate of the Board.


This issues with approval of Competent Authority of the Board.

S.P. Subudhi, IFS
Member Secretary

Copy to:

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action.
3. Guard File.

Member Secretary



60

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/S-311/22/2079-910

Dt. 05/01/22

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू0के0पी0सी0वी0/एच0ओ0/सा0-183-514/2021/5431-1059 दिनांक 16.12.2021 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 132/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में मै0 श्री मॉ नन्दा स्टोन केशर नैनी चौक बेतालघाट ग्राम- दरमिन बेतालघाट, जिला-नैनीताल के विरुद्ध दिनांक 17.08.2021 से दिनांक 04.01.2022 तक निर्धारित घटकों के आधार पर रू0 423000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति आख्या सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

0/2

05.1.2022

मा० एन०जी०टी० में मूल आवेदन संख्या 132/2021 मनोज जोशी बनाम
उत्तराखण्ड राज्य अन्ध में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के संदर्भ में आख्यां।

कृपया निर्देशानुसार बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू०के०पी०सी०वी०/एच०ओ०/सा०-183-514/2021/5431-1059 दिनांक 16.12.2021 के अनुपालन में दिनांक 04.01.2022 को मै० श्री माँ नन्दा स्टोन केशर नेनी चौक बेतालघाट ग्राम- दरमिन बेतालघाट, जिला-नैनीताल का निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओं द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री राहुल भट्ट की उपस्थिति में किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर संचालन में नहीं था। केशर द्वारा मा० एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन संख्या 132/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित घटकों के आधार पर आकलन निम्नवत है।

S. No	Factor	Value
1.	Pollution Index of Industrial Sector (PI)	40
2.	Numbers of days of violation(N)	Date 17.08.2021 (Joint Inspection) To Date 04.01.2022 Total Days- 141
3.	A Factor in Rupees for EC (R)	100/-
4.	Factor for Scale of operation (S)	0.5
5.	Location Factor (LF)	1.0
6.	Violation factor (VF)	1.25

$$\begin{aligned} \text{पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \times \text{VF} \\ &= 40 \times 141 \times 100 \times 0.5 \times 1.0 \times 1.25 \\ &= \text{Rs.} 352500/- \text{ (2500/Day)} \end{aligned}$$

∴ न्यूनतम पर्यावरण क्षतिपूर्ति (1500+1500)=3000/दिन है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति= 141 X 3000=423000/- है।

अतः उपरोक्तानुसार कुल रू० 423000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(शुभम गुसाई)
अवर अभियन्ता

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा० वैज्ञा० अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

सज्ज सक्किव



REGIONAL OFFICE
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Awas Vikas Colony, Haldwani, Nainital

Phone : 05946-221532, Fax : 05946-225618 Web : www.uttarakhandpcb.gov.in, E-mail : rso.haldwani@gmail.com

JKPCB/HO/Consent/2022/2563-1040

Date: 08/2/22

To,

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher
Khet No-71,72,73,74
Vill- Naini Chowk, Betalghat
Distt- Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion/) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981", and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act Air Act and HW Rules respectively).

Consent No- 1607985 /S-311/22/02/1645 Date- 04/02/2022

This CCA is hereby granted to M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Khet No-71,72,73,74 Vill- Naini Chowk, Betalghat Distt Nainital, subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further on subject to following terms and conditions :-

1. CCA is granted for a period upto 31/03/2026 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment Net Assets Values under Slab 01 Crore to 05 Crore

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits & Sand	11250MT/Month (45MT/Hr)	Stone Grits & Sand	11250MT/Month (45MT/Hr)

2. Specific Conditions under Water Act:

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA or CTE	Present CCA(Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	0.5KLD (Zero Discharge)	0.5KLD (Zero Discharge)

(ii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act:-

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ambient Air Quality						
1.	Suspended Particulate matter (SPM)			Not to exceed		600µg/m ³

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

[Handwritten signatures and initials]

The Specific Conditions

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Night Time in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

1. Conditions under HW Rules:-

- I. Number of authorization and date of issue NA
- II. The Factory Manager of M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Khet No-71,72,73,74 Vill- Naini Chowk, Betalghat Distt- Nainital. is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- III. The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.
- IV. The authorization shall be in force for a period upto 31/03/2026
- V. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	NA	NA	NA

- I. authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
 - II. The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
 - III. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
 - IV. Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 - V. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
 - VI. An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
 - VII. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the MoEF or CPCB.
5. This CCA is valid only for manufacturing process of Different type of Stone Grits & Sand 11250MT/Month (45MT/Hr)
6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/ Unit:-
- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
- Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

Regional Officer

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Regional Officer

(Handwritten signatures and initials)

Annexure


- 1 The Unit shall Strictly comply with the provisions of Water Act, Air & B(P) Act and Rules/Notification made thereunder.
- 2 This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
- 3 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
- 4 The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
- 5 The Industry Strictly Adhere with the specific and general conditions issued with CCA orders. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
- 6 The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
- 7 Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises.
- 8 Unit shall construct metallic road within premises.
- 9 Unit shall provide dust suppression/containment system on all dust emitting sources/equipment.
- 10 Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
- 11 Stone crusher shall be established inside the covered shed.
- 12 Ducting system with ID fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
- 13 The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production process.
- 14 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standard as may be applicable.
- 15 The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulvisers shall strictly follow the provisions of the Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Policy, 2020 promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority with in stipulated time specified in Anugya policy-2020.
- 16 The Industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
- 17 The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
- 18 Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.
- 19 Unit shall comply the final order issued by Hon'ble High Court Nainital in PIL. No.212/2019 "Trilok Chand vs. State of uttarakhand and others" case.
- 20 Units shall be conduct quarterly ambient air quality monitoring from board lab or MOEF approved labs and ensure to submit the same to the board.

General Conditions:


- 1 The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
- 2 The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
- 3 The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any futher direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
- 4 The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak proof.
- 5 The Industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
- 6 The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Boards officials.
- 7 Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be repored to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failures of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
- 8 The industry shall operate in amanner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
- 9 In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operations of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be lible to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
- 10 The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/productivity capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission points
- 11 The Board reseves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary

01
01/1/08

- 12 The person authorized change shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permissions of the Board.
- 13 Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization
- 14 It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
- 15 The authorization is valid for temporary storage of Hazardous waste within premises only.
- 16 The authorization agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
- 17 It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to closed and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
- 18 Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
- 19 The Storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' Shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
- 20 The industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
- 21 In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Others Wastes Rules, 2016 shall be submitted to the Board.


Regional Officer

01/1
01/1







स्वायत्त सव डिप्टी जल अधिकारी परमना मजिस्ट्रेट कोरवी कुटीली नैनीताल।
 वार 10/3
 वार 2017-18
 वी पी नन्दा रेलम केसर रोडिया लया नैनीताल तहसील देवाघाट जिला नैनीताल।

विषय- सरकार उत्तराखण्ड
 नाम
 अर्जित वार 10 कुम्हार एण्ड मजदारा वरवर
 (कोरवा मजदारा एण्ड डिप्टी-जुगनी एक्ट 1975)

निर्णय

वार्ड 1 आबेदक द्वारा एवं पत्रों पर इस आशय का परतुत किया है कि प्राची के नाम पर उत्तराखण्ड परती उद्योगधर तहसील देवाघाट जिला नैनीताल के खेत 107 मे भूमि दर्ज माल कमजोर है जिसके खेत खतरा नर कमरा 71,72,73,74,78,104,105,106,117,122 व 124 मे खेत के खत से आशय है। प्राची के कतजात चाहता है। प्राची ने अपनी भूमि के खत खेत मर पर बोरिंग लगाये जाने की अनुमति की प्राचीन के है। वार दर्ज कर तहसीलदार देवाघाट / अधिसारी अभियंता उत्तराखण्ड जल सवका नैनीताल / मूलक है। जिला नैनीताल / ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत तल्लामोव से जाच आख्या तल्ल की गई।

पञ्चावली का अध्ययन किया गया। पञ्चावली मे परतुत तहसीलदार देवाघाट द्वारा परतुत आख्या मे उल्लिखित है कि प्राची श्री दीपक साह श्री पी नन्दा रेलम केसर रोडिया लया नैनीताल तहसील देवाघाट जिला नैनीताल मे वर्तमान मे ग्राम के खेत 107 मे भूमि दर्ज माल कमजोर है जिसके खेत खतरा नर कमरा 71,72,73,74,78,104,105,106,117,122 व 124 मे खेत के खत पर बोरिंग लगाना चाहता है। प्राची की इस सुदा भूमि मे बोरिंग लगाने मे ग्राम सभा को कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार देवाघाट द्वारा प्राची को खेत के खत पर बोरिंग की अनुमति दिये जाने हेतु जाच आख्या अवरसरित गयी है।

ग्राम प्रधान तल्लामोव की आख्या मे उल्लिखित है कि आबेदक द्वारा अपनी भूमि मे खेत खतरा नर कमरा की अनुमति चाही गयी है। श्री दीपक साह को बोरिंग की अनुमति दिये जाने मे किसी को कोई आपत्ति नही है। ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति सलाम है।

अधिसारी अभियंता, उत्तराखण्ड जल सवका नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 922/2019 पम्/53 दिनांक 4-9-2019 द्वारा अवगत करता है कि मलकूम का व्यास अधिकतम 5 इंच तक होना चाहिए। नीचे रूखी जानी होनी। विभागीय हेण्डपम्प से प्रस्तावित बोरिंग की दूरी लगभग 200 मीटर की परिधि के आसपास है तथा 200 मीटर के दायरे में कोई जल भंडार नही है नलकूप का प्रयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया जाना होगा तथा प्रतिदिन 50000 लीटर जल की मात्रा अधिकतम नही निकाली जायेगी। प्रस्तावित बोरिंग विभागीय पंचतीय क्षेत्र मे स्थित है। बोरिंग के उपरान्त पेयजल प्राप्ति के पर अध्ययनानुसार एक जल सवका (वैल्यूड पोस्ट) स्थानीय निवासियों को पृथक से दिया जायेगा। झाई बोर होने की स्थिति मे बोरिंग को बन्द करने की जिम्मेदारी आबेदक की होगी।

भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिजम इकाई, उत्तराखण्ड विदेशीय संताराखण्ड जिला रायक फोर्स नैनीताल जिला हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 814/डा0भो0नैनी/विधि/2018-19 दिनांक 29-9-2018 द्वारा निम्न प्रती एवं सुझावों के अनुपालन की दृशा मे आवेदित स्थल के अर्न्तगत भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से बोरिंग कार्य हेतु ससुति की जाती है। यदि आबेदक द्वारा सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो अन्तर्गत प्रमाण पत्र स्वयं ही निरस्त समझा जायेगा तथा बोरिंग कार्य से स्थल एवं निकटवर्ती क्षेत्र पर पड़ने वाले भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत प्रभावों के लिए आबेदक स्वयं ही उत्तरदायी होगा।

सुझाव एवं शर्तों- प्रथम दृष्टया निरीक्षण के दौरान वर्तमान मे कोई ऐसा तथ्य प्रकट न गयी जाच जिससे कि बोरिंग लगाये जाने मे भूखण्ड को कोई खतरा उत्पन्न हो तथाकि भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से बोरिंग निकाल करत समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा-

- 1-स्थल पर भूजल की उपलब्धता के सम्बंध मे बोरिंग निर्माण से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से विशेषज्ञ से परीक्षण करा लिया जाना आवश्यक होगा ताकि भूमि मे अन्तर्गत विद्यमान जल की मात्रा एवं उपलब्धता के सम्बंध मे विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली ससुतिया को एक प्रति आबेदक द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी तथा घट्टानों को कमजोर होने से बचाया जा सके।
- 2-स्थल पर यदि भूजल उपलब्ध होता है तो बोरिंग निर्माण के उपरान्त बोरिंग के निकटवर्ती क्षेत्र का आर0सी0सी0 से अच्छी प्रकार से पथक कर लिया जाये तथा जल की निकाली के लिए पक्की नलिया का निर्माण किया जाये।
- 3-बोरिंग से निकलने वाले मलबे को स्थल के अर्न्तगत ही समाप्तजित कर लिया जाना।
- 4-बोरिंग स्थल के निकट जल सवका हेतु एक मिटर का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा तथा इस आर0सी0सी0 से अच्छी प्रकार से पथक कर लिया जाए तथा अतिरिक्त जल की निकाली हेतु पथक नलिया का निर्माण कर लिया जाये।
- 5-बोरिंग निर्माण के समय स्थल का स्टैटो कार्य तयार किया जाना अनिवार्य होगा तथा स्टैटो कार्य को एक प्रति आबेदक द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जानी होगी।
- 6-स्थल के निकट एक रिडोज बांध बनाया जाना होगा जिसमे जल को स्टोर करके भूमि में भूजल को सवका किया जाना होगा।
- 7-स्थल पर बोरिंग निर्माण मोटर भाग से नियमनुसार दूरी पर जल सवका नलिया का निर्माण किया जाना होगा। ग्राम को क्षति न पहुँचाने पावे।
- 8-यदि उपरोक्त स्थल पर अन्तिम रूप से बोरिंग की अनुमति दी जाये तो बोरिंग कार्य के अन्तर्गत बोरिंग के उपयोग किये जाने से पूर्व स्थल की परीक्षा करके जल सवका नलिया का निर्माण करवाया जायेगा।

प्रतिलिपि

1-ग्राम पंचायत तल्लामोव
 2-वार्ड 10
 3-वार्ड 10

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

बोरिंग के उपयोग किये जाने से पूर्व सरक के पुन जांच कर वह सुनिश्चित किया जाना होगा कि स्थल पर बोरिंग निर्माण दिये गये शर्तों एवं सुझावों के अनुसरण ही किया गया है।
 भेरे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत ग्राम सभा की अनुमति तहसीलदार कार्यालय की अर्थात् दिनांक 30-7-2019 अधिशारी अभियन्ता जल संरक्षण नैनीताल की निर्माण अर्थात् दिनांक 2-5-2019 भूवैज्ञानिक भूगत एच खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जिला टास्क फोर्स नैनीताल की निर्माण अर्थात् दिनांक 6-5-2019 व पत्रावली में सलम अभिलेखीय तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभ्यता का उपलक्षण तथा सलम का अध्ययन करने से प्रथम दृष्टया सरगत होते हुए किमती द्वारा लगाई गयी शर्तों तथा निम्न शर्तों के अन्तर्गत पर न्याय हित में वादी श्री दीपक साह श्री भी नन्दा स्टोन केशर रसिया लम्गा नैनीताल तहसील कार्यालय जिला नैनीताल के प्रस्तावित खेत में बोरिंग लगाये जाने को अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

- 1-यह अनुमति समय-समय पर प्रदत्त किती विधि या राज सरकार या जेम्स सरकार या आदेशों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा राज्य सरकार या जल संरक्षण या अन्य किती में प्राधिकारी निकाय आदि को जल के नुकसान या अदायगी या अन्य किती भी प्रकार के प्रभाव या कार को अदायगी के दायित्व के अधीन होगी।
 - 2-जल का ध्यावसायिक उपयोग नहीं करेगा।
 - 3-बोरिंग के उपरान्त पेयजल प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार एक जल संयोजन (स्टोन पोस्ट)रजनीय विद्युतियन को पृथक से दिया जायेगा, जिस पर समस्त ग्रामवासियों को उपयोग का अधिकार रहेगा।
 - 4-यदि भविष्य में जल संरक्षण द्वारा क्षेत्र में पेयजल पाइप लाईन विछाई जाती है तो वादी बोरिंग का प्रयोग बंद कर देने।
 - 5-बोरिंग की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अनुमति प्रादाकर्ता द्वारा बोरिंग जल निगम के कृत्रिम सतह के माध्यम से करपायी जायेगी।
 - 6-शपथ पत्र के मुताबिक आवेदक जल संयोजन की उपलब्धता तथा जिला प्रशासन के लिखित आदेशों के अनुपालन में तत्काल बोरिंग बन्द करने तथा विधिक अधिकार के प्रश्न के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
 - 7-प्रत्येक नलकूप के पास ही रियाजं कीर बनवा जाए जिसमें दोन वाटर हार्डस्टिंग विधि से रिचार्जिंग की जाए।
 - 8-आवेदक बोरिंग की अनुमति के समय अधिशारी अभियन्ता जल संरक्षण नैनीताल भूवैज्ञानिक भूगत एच खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जिला टास्क फोर्स नैनीताल कार्यालय इल्हानी द्वारा दिये गये सुझाव एवं शर्तों का पूर्णतया पालन करेगा।
 - 9-यह अनुमति अस्थायी रूप से प्रदान की गयी है; किती भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी।
- आवेदक भूवैज्ञानिक की शर्तों के तहत ही बोरिंग करेगा। जल निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

आवेदक श्री दीपक साह, श्री भी नन्दा स्टोन केशर रसिया लम्गा नैनीताल तहसील कार्यालय जिला नैनीताल के खाता सं0 177 में भूमि दर्ज माल जगजगत है जिसका एक खसरा नं0 क्रमांक 71,72,73,74,78,104,105,106,117,122 व 124में एक बोरिंग लगाई जाने की अनुमति इस शर्तों के साथ दी जाती है कि आवेदक द्वारा अधिशारी अभियन्ता जल संरक्षण नैनीताल व भूवैज्ञानिक भूगत एच खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जिला टास्क फोर्स नैनीताल कार्यालय इल्हानी द्वारा दिये गये सुझाव एवं शर्तों तथा स्वयं प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लिखित विन्दुओं का अनुपालन करते हुए बोरिंग करपायी जायेगी और भविष्य में भी उसका अनुपालन किया जायेगा। विभागीय शर्तों का अनुपालन न करने की वजह से अनुमति निरस्त कर दी जायेगी।

आदेश की प्रति जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सादर सूचनाार्थ, अधिशारी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संरक्षण, नैनीताल को भविष्य में उक्त क्षेत्र में सरकारी पेयजल लाईन विछाने पर उक्त शर्तों अनुमति समाप्त समझी जाये एवं तदनुसार बोरिंग बन्द करवाने हेतु अधिशारी अभियन्ता जल निगम नैनीताल को आवेदक द्वारा सम्पर्क करने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा भूवैज्ञानिक भूगत एच खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जिला टास्क फोर्स नैनीताल विधि इल्हानी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कारवाही को प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर में।

दिनांक : 05-10-2019

हो गयेगी शर्तों
 हो गयेगी शर्तों
 हो गयेगी शर्तों

[Signature]

(गौरव चटवाल)
 सच डिवीजनल अधिकार/ परगना मजिस्ट्रेट, कोशवी कुटीली।

सत्य प्रतिलिपि

रिजिस्ट्रार सचिव कोशवी कुटीली

[Signature]

सच डिवीजनल अधिकार/ परगना मजिस्ट्रेट, कोशवी कुटीली।

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

SHREE MAA NANDA STONE CRUSHER

BOREWELL METRE READING

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION IN KL	PLANT RUNNING HOURS	BORE WELL RUNNING HOURS
1-Apr-22	02315	02321	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
2-Apr-22	02321	02329	8	7 HOURS	02 HOURS
3-Apr-22	02329	02336	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
4-Apr-22	02336	02342	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
5-Apr-22	02342	02344	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
6-Apr-22	02344	02345	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
7-Apr-22	02345	02351	6	6 HOURS	01 HOURS 30 MIN
8-Apr-22	02351	02358	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
9-Apr-22	02358	02366	8	6 HOURS	02 HOURS
10-Apr-22	02366	02372	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
11-Apr-22	02372	02373	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
12-Apr-22	02373	02380	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
13-Apr-22	02380	02388	8	7 HOURS	02 HOURS
14-Apr-22	02388	02389	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
15-Apr-22	02389	02397	8	6 HOURS	02 HOURS
16-Apr-22	02397	02404	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
17-Apr-22	02404	02412	8	7 HOURS	02 HOURS
18-Apr-22	02412	02420	8	7 HOURS	02 HOURS
19-Apr-22	02420	02422	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
20-Apr-22	02422	02428	6	6 HOURS	01 HOURS 30 MIN
21-Apr-22	02428	02436	8	7 HOURS	02 HOURS
22-Apr-22	02436	02444	8	6 HOURS	02 HOURS
23-Apr-22	02444	02445	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
24-Apr-22	02445	02446	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
25-Apr-22	02446	02447	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
26-Apr-22	02447	02450	3	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	45 MIN
27-Apr-22	02450	02457	7	8 HOURS	01 HOURS 45 MIN
28-Apr-22	02457	02466	9	7 HOURS	02 HOURS 15 MIN
29-Apr-22	02466	02472	6	5 HOURS	01 HOURS 30 MIN
30-Apr-22	02472	02480	8	6 HOURS	02 HOURS
1-May-22	02480	02487	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
2-May-22	02487	02494	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
3-May-22	02494	02500	6	5 HOURS	01 HOURS 30 MIN
4-May-22	02500	02501	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
5-May-22	02501	02508	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
6-May-22	02508	02515	7	6 HOURS	01 HOURS 45 MIN
7-May-22	02515	02522	7	6 HOURS	01 HOURS 45 MIN
8-May-22	02522	02530	8	6 HOURS	02 HOURS
9-May-22	02530	02536	6	6 HOURS	01 HOURS 30 MIN
10-May-22	02536	02544	8	7 HOURS	02 HOURS
11-May-22	02544	02546	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
12-May-22	02546	02552	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
13-May-22	02552	02560	8	7 HOURS	02 HOURS
14-May-22	02560	02567	7	6 HOURS	01 HOURS 45 MIN
15-May-22	02567	02574	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
16-May-22	02574	02581	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
17-May-22	02581	02582	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
18-May-22	02582	02590	8	6 HOURS	02 HOURS
19-May-22	02590	02597	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
20-May-22	02597	02604	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
21-May-22	02604	02610	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
22-May-22	02610	02618	8	6 HOURS	02 HOURS
23-May-22	02618	02624	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
24-May-22	02624	02630	6	5 HOURS	01 HOURS 30 MIN
25-May-22	02630	02637	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
26-May-22	02637	02646	9	7 HOURS	02 HOURS 15 MIN
27-May-22	02646	02652	6	6 HOURS	01 HOURS 30 MIN
28-May-22	02652	02654	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
29-May-22	02654	02660	6	6 HOURS	01 HOURS 30 MIN
30-May-22	02660	02662	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
31-May-22	02662	02670	8	6 HOURS	02 HOURS
1-Jun-22	02670	02677	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
2-Jun-22	02677	02683	6	6 HOURS	01 HOURS 30 MIN
3-Jun-22	02683	02690	7	6 HOURS	01 HOURS 45 MIN
4-Jun-22	02690	02691	1	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	15 MIN
5-Jun-22	02691	02698	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
6-Jun-22	02698	02705	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
7-Jun-22	02705	02712	7	6 HOURS	01 HOURS 45 MIN
8-Jun-22	02712	02714	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
9-Jun-22	02714	02720	6	6 HOURS	01 HOURS 30 MIN
10-Jun-22	02720	02727	7	6 HOURS	01 HOURS 45 MIN
11-Jun-22	02727	02734	7	6 HOURS	01 HOURS 45 MIN
12-Jun-22	02734	02740	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
13-Jun-22	02740	02748	8	6 HOURS	02 HOURS
14-Jun-22	02748	02756	8	7 HOURS	02 HOURS

(Signature)
श्री मी नन्दा स्टाॅर क्रॅशर
नैनी वैक, बेतालघाट
नैनीताल

(Handwritten marks)

15-Jun-22	02756	02765	9	7 HOURS	02 HOURS 15 MIN
16-Jun-22	02765	02771	6	7 HOURS	01 HOURS 30 MIN
17-Jun-22	02771	02779	8	5 HOURS	02 HOURS
18-Jun-22	02779	02781	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
19-Jun-22	02781	02788	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
20-Jun-22	02788	02796	8	5 HOURS	02 HOURS
21-Jun-22	02796	02804	8	6 HOURS	02 HOURS
22-Jun-22	02804	02811	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
23-Jun-22	02811	02819	8	6 HOURS	02 HOURS
24-Jun-22	02819	02827	8	6 HOURS	02 HOURS
25-Jun-22	02827	02834	7	7 HOURS	01 HOURS 45 MIN
26-Jun-22	02834	02840	6	5 HOURS	01 HOURS 30 MIN
27-Jun-22	02840	02847	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
28-Jun-22	02847	02856	9	7 HOURS	02 HOURS 15 MIN
29-Jun-22	02856	02864	8	6 HOURS	02 HOURS
30-Jun-22	02864	02873	9	7 HOURS	02 HOURS 15 MIN
1-Jul-22	02873	02881	8	5 HOURS	02 HOURS
2-Jul-22	02881	02890	9	5 HOURS	02 HOURS 15 MIN
3-Jul-22	02890	02899	9	6 HOURS	02 HOURS 15 MIN
4-Jul-22	02899	02909	10	6 HOURS	02 HOURS 30 MIN
5-Jul-22	02909	02911	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
6-Jul-22	02911	02913	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
7-Jul-22	02913	02915	2	PLANT CLOSED FOR MAINTAINANCE WORK	30 MIN
8-Jul-22	02915	02924	9	5 HOURS	02 HOURS 15 MIN
9-Jul-22	02924	02931	7	5 HOURS	01 HOURS 45 MIN
10-Jul-22	02931	02937	6	4 HOURS	01 HOURS 30 MIN

M. Manish
 श्री मॉ नन्दा स्टार
 नैनी चैक, बेतालघाट
 नैनीताल

AS

AS

M

M/s Shri Maa Nanda Stone Crusher, Naini Chak, Tehsil - Betalghat , Dist. - Nainital



असि
सि
सि
सि

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोनकशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा प्लवराइजर अनुज्ञा नीति 2011 के अनुसार प्रो० दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन कशर द्वारा ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचक मय पांच चौक तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में प्रस्तावित स्टोन कशर प्लान्ट स्थल की संयुक्त जांच आख्या।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोनकशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा प्लवराइजर अनुज्ञा नीति 2011 के अनुसार प्रो० दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन कशर द्वारा ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचक मय पांच चौक तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में प्रस्तावित स्टोन कशर प्लान्ट स्थल की संयुक्त जांच आख्या।
जिला नैनीताल के खाता सं० १ के खे.। सं० 71 रकबा 0.191 है। 72 रकबा 0.115 है। 73 रकबा 0.136 है।
सं० 74 रकबा 0.184 है। कुल रकबा 0.626 है। क्षेत्रफल में 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लगभग 100 टन स्टोन का निरीक्षण उपनिष्ठाधिकारी, उत्तराखण्ड की उपस्थिति में समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 23/07/2014 को किया गया। आवेदक द्वारा 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के स्थापित होने वाले कशर हेतु कुल रु. 50,000 निर्धारित लेखा शीर्षक में खर्चाने सं० 170 दिनांक 23/07/2014 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, नैनीताल जमा करा दिया गया है। आवेदक द्वारा स्टोन कशर (का.) स्थापित किया जाने हेतु आवेदन भूमि पर खेव का निरीक्षण नहीं है। उक्त भूमि भूस्वामी श्री बलवंत सिंह पुत्र स्व० श्री राम सिंह श्रीमती कर्मि देवी पत्नी स्व० गंगा सिंग पुत्र श्री चन्दन सिंह देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री दीवान सिंह कुंदर सिंह पुत्र श्री करम सिंह, देवी सिंह भगवत पुत्र स्व० श्री नरसिंह पुष्कर सिंह पुत्र स्व० श्री खीम सिंह श्रीमती बन्ने देवी पत्नी स्व० श्री खीम सिंह पुत्र सिंह पुत्र सिंह के नाम श्रेणी वर्ग 1क संकमणीय भूमि भूमिधरो के नाम दर्ज है। उक्त भूमिधरो द्वारा आवेदक को प्लान्ट में कार्य अनापत्ति प्रदान की गई है जो कि मूल में संलग्न है।

निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा दिखाये गये स्थल के अनुसार उक्त प्रस्तावित प्लान्ट कारखाने की दूरी 100 मीटर की दूरी पर, नदी किनारे से 100 मीटर की दूरी पर, धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा) से 125 मीटर, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग हाउस 175 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। नैनीचक मकान (एक परिवार का निवास) से 125 मीटर के अन्दर स्थित है जो उत्तर-पश्चिम की तरफ श्री धनसिंह का आवासीय मकान, जो लगभग मध्य से 102 मीटर की दूरी पर है जिस श्री धन सिंह द्वारा 01/02/2015 से प्लान्ट के लिए भी मां नन्दा स्टोन कशर को कार्यलय प्रयोजन हेतु किराये पर दिया गया है। का इकरारनामा, किराये पर नॉटरपब्लिक प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर श्री धन सिंह आदि का मकान है। लेकिन मोक पर उक्त मकान में कोई नहीं रहता है जो मध्य बिन्दु से लगभग 128 मीटर की दूरी पर है। उत्तर में श्री धनसिंह की भूमि व मकान, दक्षिण में श्री जगत सिंह आदि की भूमि पूर्व में श्री धनसिंह आदि की भूमि श्री धन सिंह आदि की भूमि जो रिक्त पड़ी हुई है एवं पश्चिम में श्री बच्ची सिंह खाल की भूमि फिर रोड तथा 100 मीटर की दूरी पर कोसी नदी स्थित है।

प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरद्वारी द्वारा बताया गया कि कशर स्वामी द्वारा शारान में अनुमति प्राप्त होने के बाद उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा संचालन हेतु अनु. वायु सहमति (सीओपीओ) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सहायक भूवैज्ञानिक द्वारा भी नदी आख्या के अनुसार आवेदक श्री दीपक साह द्वारा ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचक मय पांच चौक, तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में स्टोन कशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित प्रस्तावित स्थल खैरना से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचक मय पांच चौक में उत्तर-पूर्व की ओर स्थित है। स्थल वर्तमान में एक कृषि भूमि है। निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल के कुछ भाग में फसल स्थित है तथा शेष भाग में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर स्थल से लगभग 02 मीटर कम ऊंचाई वाला भूभाग स्थित है जिसे वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। स्थल के उत्तर-पश्चिम की ओर कृषि भूमि तथा एक आवासीय भवन स्थित है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित आवेदक से अवगत कराया गया कि इस भवन को आवेदक द्वारा 15 वर्ष के लिये किराये पर लिया गया है तथा इस भवन को

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Ravi', 'CHAB', and various official seals.

Handwritten signatures and initials at the very bottom of the page.

अपने स्टोन क्रशर के कार्यालय उपयोग में लाया जायेगा जिससे सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव के माध्यम से संलग्न किये गये हैं। स्थल के दक्षिण-पूरब की ओर स्थल से लगभग 01 मीटर अधिक ऊंचाई वाला भूभाग (31) जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है तथा इस भूभाग में गेहू की फसल रिक्त है। स्थल के दक्षिण पश्चिम की ओर खुला भूभाग (कृषि भूमि) तथा उराके वाद मोटर मार्ग स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण $140^{\circ}-330^{\circ}$ निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिमी किनारे 15 मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसकी कुल लम्बाई 20 मीटर तथा समरेखण $50^{\circ}-230^{\circ}$ है। स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित आवासीय भवनों व नदी की, स्थल के मध्य बिन्दू से दूरी के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक होगी। आवेदक द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार चयनित स्थल एक लगभग चतुर्भुजाकार भूखण्ड है जिसका क्षेत्रफल 0.626 हेक्टर है। स्थल पश्चिम की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूखण्ड चार भुजाओं की घिरा भूभाग है जिसका प्रत्येक किनारा निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है:-

उत्तरी किनारा (बिन्दू) उत्तर $29^{\circ} 32' 28.4''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 27.5''$ देशान्तर पर,

पश्चिमी किनारा (बिन्दू) उत्तर $29^{\circ} 32' 27.0''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 26.1''$ देशान्तर पर,

दक्षिणी किनारा (बिन्दू) उत्तर $29^{\circ} 32' 24.2''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 27.2''$ देशान्तर पर,

पूर्वी किनारा (बिन्दू) उत्तर $29^{\circ} 32' 25.5''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 29.6''$ देशान्तर पर,

प्रस्तावित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं 53 0/6 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 818 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कृषि भूमि स्थित है जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित स्थल पर स्वस्थानिक घट्टाने दृष्टिगोचर नहीं होती है। स्थल की सतह पर मोटे कणों वाली भूरे रंग की मृदा का मोटा आवरण है। स्थल की स्थलाकृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्थल को एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र को कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के विकसित सोपानों मध्य रामगढ़ समूह की नथुवाखान बेतालघाट इन्ड्रई के अन्तर्गत स्थित है। प्रस्तावित स्थल कोसी नदी के आवाह क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जो कोसी नदी के उत्तर-पूर्वी किनारे पर स्थित है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूभागों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर ऊपर की ओर स्थित भाग स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग से निर्मित है जो वर्तमान में स्थिर हो गया है जबकि स्थल पर नीचे की ओर स्थित भाग नदी के द्वारा कालान्तर में अपने साथ बहाकर लाये गये नदीय अवसादों के स्थल पर एकत्रित होने से निर्मित है जिसमें अधिक मात्रा में बोल्टर, कोबेल व पैबल स्थित होने की सम्भावना है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर कोसी नदी स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण $140^{\circ}-330^{\circ}$ तथा दक्षिण-पूरब से उत्तर-पश्चिम की ओर है। स्थल पर सामान्य ढलाने $10^{\circ}-15^{\circ}$ हैं जिनकी दिशा उत्तर 330° है। स्थल पर स्थित ढलानों को पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल पर स्टोन क्रशर की स्थापना किये जाने हेतु स्थल को विकसित कर समतल किये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय स्थल पर भूधंसाव के कोई निम्न नहीं पाये गये। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

70

2/1/11

NUP

2/1/11

AT

AT

AT


AT

स्थल विकास एवं स्टोन क्रशर की स्थापना हेतु निर्माण कार्य करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्राविधानों को मान्य किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित मोटर मार्ग से नियमानुसार पर्याप्त दूरी पर ही निर्माण कार्य किया जाना होगा तथा स्थल के चारों ओर नियमानुसार चारदीवारी का निर्माण किया जाना होगा।
2. चयनित स्थल परिसर की सीमा के अन्दर मध्य बिन्दू का निर्धारण नियमानुसार किया जाना होगा तथा स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना होगा।
3. स्थल पर निर्माण कार्य इस प्रकार से किया जाना होगा कि स्थल के निकटवर्ती भूभाग में स्थित सिंचाई गूलों को कोई क्षति नहीं पहुंचने पाये।
4. स्थल परिसर में प्रस्तावित कार्यालय भवन आदि का निर्माण करते समय नींव को यथोचित गहराई तक ले जाया जाना तथा भवन का निर्माण भूकम्प के अधिकतम परिमाणों के कम्पनो को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्परोधी तकनीक को अपनाते हुए किया जाना आवश्यक होगा।
5. स्थल पर निर्माण कार्य, स्थल की भारग्रही क्षमता के अनुरूप ही किया जाना होगा।
6. स्थल पर प्रयोग किये जाने वाले जल तथा वर्षाजल की निकासी हेतु सक्षम जलप्रवाह तन्त्र विकसित किया जाना भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा।
7. प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य करने के उपरान्त तथा इकाई में उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, स्थल का पुनः निरीक्षण कराया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थल के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया गया है।
8. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 2920/V-II-11/68-रिट /2008 देहरादून: दिनांक 18 नवम्बर, 2011 में दिये गये नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में ही स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।


अतः उपरोक्त सुझावों के पूर्णतया अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टोन क्रशर के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त सुझावों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये आवेदक स्वयं ही उत्तरदायी होगा।

राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु शासनादेश सं0 2920/VII-II-II /68-रिट/2008 देहरादून दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के अनुसार स्थल चयन हेतु स्टोन क्रशर के प्लान्ट हेतु स्टोन क्रशर अनुज्ञा नीति 2011 के अनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


(क्षेत्रीय अधिकारी)

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

हल्द्वानी


(उप निदेशक, खनन)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
हल्द्वानी


(सर्वेक्षक)


भूतत्व एवं खनिकर्म
हल्द्वानी


(सहायक-भूवैज्ञानिक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
हल्द्वानी


(प्रभागीय वनाधिकारी)


अल्मोड़ा वन प्रभाग

अल्मोड़ा



(उपजिलाधिकारी)

कोश्याकुटौली

3-3-15


उपजिलाधिकारी
कोश्याकुटौली

PROCESS FLOW DIAGRAM BAIJNATH STONE INDUSTRIES PVT. LTD.



AS
H
L
L

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Ag.

11/11

11/11

11/11

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signatures and initials in blue ink.

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat , Dist. – Nainital



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources
River Development & Ganga Rejuvenation
Central Ground Water Authority

(भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र)

NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	Bajjnath Stone Industries Pvt Ltd		
Project Address:	Village-tallagaon, Betalghat		
Village:	Talla Gaon	Block:	Betalghat
District:	Nainital	State:	Uttarakhand
Pin Code:			
Communication Address:	Bajjnath Stone Industries Pvt Ltd, Village-talla Gaon, Betalghat, Betalghat, Nainital, Uttarakhand - 263134		
Address of CGWB Regional Office :	Central Ground Water Board Uttarakhand Region, 419-a, Kanwali Road, Baluwala , Near Urja Bhawan, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand - 248001		

1. NOC No.:	CGWA/NOC/IND/ORIG/2022/15194										
2. Application No.:	21-4/1567/UT/IND/2022	3. Category:	Safe								
		(GWRE 2020)									
4. Project Status:	Existing Project	5. NOC Type:	New								
6. Valid from:	31/01/2022	7. Valid up to:	30/01/2025								
8. Ground Water Abstraction Permitted:											
	Fresh Water		Saline Water								
	Dewatering		Total								
m ³ /day	m ³ /year	m ³ /day	m ³ /year								
10.00	2500.00										
9. Details of ground water abstraction /Dewatering structures											
	Total Existing No.:1						Total Proposed No.:0				
	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu	DW	DCB	BW	TW	MP
Abstraction Structure*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
*DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; MP-Mine Pit;MPu-Mine Pumps											
10. Ground Water Abstraction/Restoration Charges paid (Rs.):				5890.00							

(Compliance Conditions given overleaf)

This is an auto generated document & need not to be signed.

Validity of this NOC shall be subject to compliance of the following conditions:

Mandatory conditions:

- 1) Installation of tamper proof digital water flow meter with telemetry on all the abstraction structure(s) shall be mandatory for all users seeking No Objection Certificate and intimation regarding their installation shall be communicated to the CGWA within 30 days of grant of No Objection Certificate.
- 2) Proponents shall mandatorily get water flow meter calibrated from an authorized agency once in a year.
- 3) Construction of purpose-built observation wells (piezometers) for ground water level monitoring shall be mandatory as per Section 14 of Guidelines. Water level data shall be made available to CGWA through web portal. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure-II of the guidelines.
- 4) Proponents shall monitor quality of ground water from the abstraction structure(s) once in a year. Water samples from bore wells / tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analysed in NABL accredited laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to CGWA through the web portal.
- 5) In case of mining projects, additional key wells shall be established in consultation with the Regional Director, CGWB for ground water level monitoring four (4) times a year (January, May, August and November) in core as well as buffer zones of the mine.
- 6) In case of mining project the firm shall submit water quality report of mine discharge/ seepage from Govt. approved/ NABL accredited lab.
- 7) The firm shall report compliance of the NOC conditions online in the website (www.cgwa-noc.gov.in) within one year from the date of issue of this NOC.
- 8) Industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall undertake annual water audit through certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to CGWA. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next three years through appropriate means.
- 9) Application for renewal can be submitted online from 90 days before the expiry of NOC. Ground water withdrawal, if any, after expiry of NOC shall be illegal & liable for legal action as per provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 10) This NOC is subject to prevailing Central/State Government rules/laws/norms or Court orders related to construction of tube well/ground water abstraction structure / recharge or conservation structure/dischage of effluents or any such matter as applicable.

General conditions:

- 11) No additional ground water abstraction and/or de-watering structures shall be constructed for this purpose without prior approval of the Central Ground Water Authority (CGWA).
- 12) The proponent shall seek prior permission from CGWA for any increase in quantum of groundwater abstraction (more than that permitted in NOC for specific period).
- 13) Proponents shall install roof top rain water harvesting in the premise as per the existing building bye laws in the premise.
- 14) The project proponent shall take all necessary measures to prevent contamination of ground water in the premises failing which the firm shall be responsible for any consequences arising thereupon.
- 15) In case of industries that are likely to contaminate the ground water, no recharge measures shall be taken up by the firm inside the plant premises. The runoff generated from the rooftop shall be stored and put to beneficial use by the firm.
- 16) Wherever feasible, requirement of water for greenbelt (horticulture) shall be met from recycled / treated waste water.
- 17) Wherever the NOC is for abstraction of saline water and the existing wells (s) is /are yielding fresh water, the same shall be sealed and new tubewell(s) tapping saline water zone shall be constructed within 3 months of the issuance of NOC. The firm shall also ensure safe disposal of saline residue, if any.
- 18) Unexpected variations in inflow of ground water into the mine pit, if any, shall be reported to the concerned Regional Director, Central Ground Water Board.
- 19) In case of violation of any NOC conditions, the applicant shall be liable to pay the penalties as per Section 16 of Guidelines.
- 20) This NOC does not absolve the proponents of their obligation / requirement to obtain other statutory and administrative clearances from appropriate authorities.
- 21) The issue of this NOC does not imply that other statutory / administrative clearances shall be granted to the project by the concerned authorities. Such authorities would consider the project on merits and take decisions independently of the NOC.
- 22) In case of change of ownership, new owner of the industry will have to apply for incorporation of necessary changes in the No Objection Certificate with documentary proof within 60 days of taking over possession of the premises.
- 23) This NOC is being issued without any prejudice to the directions of the Hon'ble NGT/court orders in cases related to ground water or any other related matters.
- 24) Proponents, who have installed/constructed artificial recharge structures in compliance of the NOC granted to them previously and have availed rebate of upto 50% (fifty percent) in the ground water abstraction charges/ground water restoration charges, shall continue to regularly maintain artificial recharge structures.
- 25) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, pharmaceutical, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution as per Annexure III of the guidelines.
- 26) In case of new infrastructure projects having ground water abstraction of more than 20 m³/day, the firm/entity shall ensure implementation of dual water supply system in the projects.
- 27) In case of infrastructure projects, paved/parking area must be covered with interlocking/perforated tiles or other suitable measures to ensure groundwater infiltration/harvesting.
- 28) In case of coal and other base metal mining projects, the project proponent shall use the advance dewatering technology (by construction of series of dewatering abstraction structures) to avoid contamination of surface water.
- 29) The NOC issued is conditional subject to the conditions mentioned in the Public notice dated 27.01.2021 failing which penalty/EC/cancellation of NOC shall be imposed as the case may be.
- 30) This NOC is issued subject to the clearance of Expert Appraisal Committee (EAC) (if applicable).

(Non-compliance of the conditions mentioned above is likely to result in the cancellation of NOC and legal action against the proponent.)

BALINATH STONE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
DAILY WATER CONSUMPTION REPORT

S.NO.	DATE	OPENING READING	CLOSING READING	CONSUMPTION IN KL	READING TIME	SIGN	COMMENTS
1	01-04-2022	001359	1368	9	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-
2	02-04-2022	1368	1377	9	6:15PM	<i>[Signature]</i>	-
3	03-04-2022	1377	1385	8	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
4	04-04-2022	1385	1394	9	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-
5	05-04-2022	1394	1402	8	6.10PM	<i>[Signature]</i>	-
6	06-04-2022	1402	1411	9	6.25PM	<i>[Signature]</i>	-
7	07-04-2022	1411	1419	8	6.40PM	<i>[Signature]</i>	-
8	08-04-2022	1419	1426	7	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-
9	09-04-2022	1426	1435	9	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
10	10-04-2022	1435	1443	8	7.00PM	<i>[Signature]</i>	-
11	11-04-2022	1443	1452	9	6.10PM	<i>[Signature]</i>	-
12	12-04-2022	1452	1460	8	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
13	13-04-2022	1460	1469	9	6.20PM	<i>[Signature]</i>	-
14	14-04-2022	1469	1476	7	6.40PM	<i>[Signature]</i>	-
15	15-04-2022	1476	1486	10	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
16	16-04-2022	1486	1497	11	7.05PM	<i>[Signature]</i>	-
17	17-04-2022	1497	1509	12	6.20PM	<i>[Signature]</i>	-
18	18-04-2022	1509	1520	11	6.40PM	<i>[Signature]</i>	-
19	19-04-2022	1520	1532	12	6.15PM	<i>[Signature]</i>	-
20	20-04-2022	1532	1541	9	6.36PM	<i>[Signature]</i>	-
21	21-04-2022	1541	1553	12	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-
22	22-04-2022	1553	1557	4	6.30PM	<i>[Signature]</i>	PLANT CLOSED DUE TO MAINTENANCE
23	23-04-2022	1557	1559	2	6.00PM	<i>[Signature]</i>	PLANT CLOSED DUE TO MAINTENANCE
24	24-04-2022	1559	1562	3	6.40PM	<i>[Signature]</i>	PLANT CLOSED DUE TO MAINTENANCE
25	25-04-2022	1562	1564	2	6.55PM	<i>[Signature]</i>	PLANT CLOSED DUE TO MAINTENANCE
26	26-04-2022	1564	1565	1	7.10PM	<i>[Signature]</i>	PLANT CLOSED DUE TO MAINTENANCE
27	27-04-2022	1565	1566	1	12:11PM	<i>[Signature]</i>	PLANT CLOSED DUE TO MAINTENANCE
28	28-04-2022	1566	1574	9	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
29	29-04-2022	1574	1582	8	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-
30	30-04-2022	1582	1589	7	7.00PM	<i>[Signature]</i>	-
31	01.05.2022	1589	1598	9	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
32	02.05.2022	1598	1608	10	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-
33	03.05.2022	1608	1617	9	6.00PM	<i>[Signature]</i>	-
34	04.05.2022	1617	1625	8	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
35	06.05.2022	1625	1632	7	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-
36	07.05.2022	1632	1638	6	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
37	08.05.2022	1638	1647	9	6.15PM	<i>[Signature]</i>	-
38	09.05.2022	1647	1658	11	6.30PM	<i>[Signature]</i>	-
39	10.05.2022	1658	1668	10	6.45PM	<i>[Signature]</i>	-


 Nandini Tal Singh
 Director

40	11.05.2022	1668	1677	9	6.35PM	Dark
41	12.05.2022	1677	1685	8	6.40PM	Dark
42	13.05.2022	1685	1695	10	6.50PM	Dark
43	14.05.2022	1695	1701	6	6.00PM	Dark
44	15.05.2022	1701	1712	11	7.00PM	Dark
45	16.05.2022	1712	1724	12	6.30PM	Dark
46	17.5.2022	1724	1734	10	7.00PM	Dark
47	18.05.2022	1734	1743	9	6.45PM	Dark
48	19.05.2022	1743	1753	10	7.00PM	Dark
49	20.05.2022	1753	1762	9	6.30PM	Dark
50	21.05.2022	1762	1770	8	7.00PM	Dark
51	22.05.2022	1770	1779	9	6.15PM	Dark
52	23.05.2022	1779	1790	11	6.30PM	Dark
53	24.05.2022	1790	1800	10	6.15PM	Dark
54	25.05.2022	1800	1812	12	6.30PM	Dark
55	26.05.2022	1812	1821	9	6.45PM	Dark
56	27.05.2022	1821	1832	11	6.35PM	Dark
57	28.05.2022	1832	1842	10	6.40PM	Dark
58	29.05.2022	1842	1853	11	6.30PM	Dark
59	30.05.2022	1853	1862	9	6.15PM	Dark
60	31.05.2022	1862	1873	11	6.00PM	Dark
61	01-06-2022	1873	1882	9	6.15PM	Dark
62	02-06-2022	1882	1890	8	6.30PM	Dark
63	03-06-2022	1890	1900	10	6.00PM	Dark
64	04-06-2022	1900	1907	7	6.15PM	Dark
65	05-06-2022	1907	1916	9	6.30PM	Dark
66	06-06-2022	1916	1927	11	6.45PM	Dark
67	07-06-2022	1927	1937	10	7.00PM	Dark
68	08-06-2022	1937	1946	9	6.30PM	Dark
69	09-06-2022	1946	1952	6	7.00PM	Dark
70	10-06-2022	1952	1963	11	7.05PM	Dark
71	11-06-2022	1963	1973	10	6.15PM	Dark
72	12-06-2022	1973	1982	9	6.30PM	Dark
73	13-06-2022	1982	2092	10	6.45PM	Dark
74	14-06-2022	2092	2101	9	6.30PM	Dark
75	15-06-2022	2101	2112	11	6.15PM	Dark
76	16-06-2022	2112	2124	12	6.20PM	Dark
77	17-06-2022	2124	2133	9	6.25PM	Dark
78	18-06-2022	2133	2141	8	6.30PM	Dark
79	19-06-2022	2141	2151	10	6.40PM	Dark
80	20-06-2022	2151	2162	11	6.30PM	Dark
81	21-06-2022	2162	2169	7	6.45PM	Dark
82	22-06-2022	2169	2179	10	6.40PM	Dark
83	23-06-2022	2179	2190	11	6.30PM	Dark
84	24-06-2022	2190	2199	9	6.35PM	Dark
85	25-06-2022	2199	2209	10	6.30PM	Dark
86	26-06-2022	2209	2220	11	6.35PM	Dark
87	27-06-2022	2220	2228	8	6.00PM	Dark
88	28-06-2022	2228	2239	11	7.00PM	Dark

Tab

1/1

H

J

M/s Bajinathi Stone Industries Pvt. Ltd.
 Nandini Tal Singh
 Director

89	29-06-2022	2239	2276	9	6.15PM	<i>Red</i>
90	30-06-2022	2276	2286	10	6.20PM	<i>Red</i>
91	01-07-2022	2286	2297	11	6.30PM	<i>Red</i>
92	02-07-2022	2297	2306	9	6.45PM	<i>Red</i>
93	03-07-2022	2306	2314	8	6.30PM	<i>Red</i>
94	04-07-2022	2314	2324	10	6.45PM	<i>Red</i>
95	05-07-2022	2324	2334	10	6.30PM	<i>Red</i>
96	06-07-2022	2334	2345	11	6.45PM	<i>Red</i>
97	07-07-2022	2345	2355	10	5:54PM	<i>Red</i>

FOR BAJNATH STONE INDUSTRIES PVT LTD

M/s Bajnath Stone Industries Pvt Ltd.

Narender Pal Singh
(DIRECTOR) Director

Te , *Li* ~~Te~~ ~~Li~~ 84

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat , Dist. – Nainital



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Off

→

→

→

BAIJNATH STONE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
LOG BOOK
VEHICLE NO. UK18C-8736 (WATER TRACTOR)

DATE	ROUND	OPPENING KM	CLOSING KM	TOTAL KM RUN	SIGNATURE	REMARKS
01-04-2022	2	1673	1677	4		-
02-04-2022	3	1677	1681	4		-
03-04-2022	2	1681	1685	4		-
04-04-2022	2	1685	1693	8		-
05-04-2022	2	1693	1697	4		-
06-04-2022	2	1697	1701	4		-
07-04-2022	2	1701	1705	4		-
08-04-2022	2	1705	1709	4		-
09-04-2022	2	1709	1713	4		-
10-04-2022	2	1713	1717	4		-
11-04-2022	2	1717	1721	4		-
12-04-2022	2	1721	1725	4		-
13-04-2022	2	1725	1729	4		-
14-04-2022	2	1729	1733	4		-
15-04-2022	2	1733	1737	4		-
16-04-2022	2	1737	1741	4		-
17-04-2022	2	1741	1745	4		-
18-04-2022	2	1745	1749	4		-
19-04-2022	2	1749	1753	4		-
20-04-2022	2	1753	1757	4		-
21-04-2022	2	1757	1761	4		-
22-04-2022	2	1761	1765	4		-
23-04-2022	3	1765	1771	6		-
24-04-2022	2	1771	1775	4		-
25-04-2022	2	1775	1779	4		-
26-04-2022	2	1779	1783	4		-
27-04-2022	1	1783	1785	2		-
28-04-2022	1	1785	1787	2		-
29-04-2022	1	1787	1789	2		-
30-04-2022	1	1789	1791	2		-

FOR BAIJNATH STONE INDUSTRIES PVT. LTD

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.

Narinder Singh
DIECTOR Director

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BAIJNATH STONE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
LOG BOOK
VEHICLE NO. UK18C-8736 (WATER TRACTOR)

DATE	ROUND	OPPENING KM	CLOSING KM	TOTAL KM RUN	SIGNATURE	REMARKS
01-05-2022	1	1791	1793	2		-
02-05-2022	1	1793	1795	2		-
03-05-2022	1	1795	1797	2		-
04-05-2022	1	1797	1799	2		-
05-05-2022	1	1799	1801	2		-
06-05-2022	1	1801	1803	2		-
07-05-2022	1	1803	1805	2		-
08-05-2022	1	1805	1807	2		-
09-05-2022	1	1807	1809	2		-
10-05-2022	1	1809	1811	2		-
11-05-2022	1	1811	1813	2		-
12-05-2022	1	1813	1815	2		-
13-05-2022	1	1815	1817	2		-
14-05-2022	1	1817	1819	2		-
15-05-2022	1	1819	1821	2		-
16-05-2022	1	1821	1823	2		-
17-05-2022	1	1823	1825	2		-
18-05-2022	1	1825	1827	2		-
19-05-2022	1	1827	1829	2		-
20-05-2022	1	1829	1831	2		-
21-05-2022	1	1831	1833	2		-
22-05-2022	1	1833	1835	2		-
23-05-2022	1	1835	1837	2		-
24-05-2022	1	1837	1839	2		-
25-05-2022	1	1839	1841	2		-
26-05-2022	1	1841	1843	2		-
27-05-2022	1	1843	1845	2		-
28-05-2022	1	1845	1847	2		-
29-05-2022	1	1847	1849	2		-
30-05-2022	1	1849	1851	2		-
31-05-2022	1	1851	1853	2		-

FOR BAIJNATH STONE INDUSTRIES PVT. LTD

M/s Bajnath Stone Industries Pvt. Ltd.

Narinder Pal Singh
 DIRECTOR Director

AT

AT

AT

BAIJNATH STONE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
LOG BOOK
VEHICLE NO. UK18C-8736 (WATER TRACTOR)

DATE	ROUND	OPPENING KM	CLOSING KM	TOTAL KM RUN	SIGNATURE	REMARKS
01-06-2022	1	1853	1855	2		-
02-06-2022	1	1855	1857	2		-
03-06-2022	1	1857	1859	2		-
04-06-2022	1	1859	1861	2		-
05-06-2022	1	1861	1863	2		-
06-06-2022	1	1863	1865	2		-
07-06-2022	1	1865	1867	2		-
08-06-2022	1	1867	1869	2		-
09-06-2022	1	1869	1871	2		-
10-06-2022	1	1871	1873	2		-
11-06-2022	1	1873	1875	2		-
12-06-2022	1	1875	1877	2		-
13-06-2022	1	1877	1879	2		-
14-06-2022	1	1879	1881	2		-
15-06-2022	1	1881	1883	2		-
16-06-2022	1	1883	1885	2		-
17-06-2022	1	1885	1887	2		-
18-06-2022	1	1887	1889	2		-
19-06-2022	1	1889	1891	2		-
20-06-2022	1	1891	1893	2		-
21-06-2022	1	1893	1895	2		-
22-06-2022	1	1895	1897	2		-
23-06-2022	1	1897	1899	2		-
24-06-2022	1	1899	1901	2		-
25-06-2022	1	1901	1903	2		-
26-06-2022	1	1903	1905	2		-
27-06-2022	1	1905	1907	2		-
28-06-2022	1	1907	1909	2		-
29-06-2022	1	1909	1911	2		-
30-06-2022	1	1911	1913	2		-
01-07-2022	1	1913	1915	2		-
02-07-2022	1	1915	1917	2		-
03-07-2022	1	1917	1919	2		-
04-07-2022	1	1919	1921	2		-
05-07-2022	1	1921	1923	2		-
06-07-2022	1	1923	1925	2		-
07-07-2022	1	1925	1927	2		-

FOR BAIJNATH STONE INDUSTRIES PVT. LTD

, M/s Bajinath Stone Industries Pvt. Ltd.

Nandkumar Singh
 DIRECTOR Director

AS *MS*

AS

AS



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/41/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gussai JE
Sh. Yogesh Rawat MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	419.9	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/42/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022 to 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gussai JE
Sh. Yogesh Rawat MA
- 5 Monitoring Location East-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.6	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.7	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	193.5	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	90.1	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/43/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022 to 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gussai JE
Sh. Yogesh Rawat MA
- 5 Monitoring Location West-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.3	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.4	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	176.9	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	81.5	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/44/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Bajinath Stone Industries Pvt. Ltd.
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022 to 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gussai JE
Sh. Yogesh Rawat MA
- 5 Monitoring Location South-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.3	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.1	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	164.8	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	75.2	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/45/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022 to 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Shubham Gussai JE
Sh. Yogesh Rawat MA
- 5 Monitoring Location North-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.6	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.5	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	189.2	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	87.8	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer









Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


NOISE LEVEL MONITORING


1 Report No. Noise/HLD/19/2022-23
2 Name of Industry & Address M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
3 Date of Monitoring 07.07.2022
4 Sample Collected by Sh. Shubham Gussai JE
Sh Yogesh Rawat MA
5 Monitoring Location Within the Premises of Stone Crusher


OBSERVATION

S.No	Monitoring Point	Time	Noise Level dB (A)		
			L max	L min	L eq
1	North-Direction near Wind breaking wall	12:30 -12:40	75.5	51.9	66.1
2	South-Direction near Wind breaking wall	12:55- 13:05	76.3	53.7	67.4
3	East-Direction near Wind breaking wall	13:20 - 13:30	69.7	50.4	64.9
4	West-Direction near Wind breaking wall	13:50 - 14:00	67.5	49.3	61.2
Standard dB (A)					75


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer



भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 2225/स्टोक्रोनवी0/खनन/भूखनि0ई0/नैनी0/2021-22.

दिनांक 28 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 के उप विन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक्त उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भूखनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 64/भूखनि0ई0/स्टोक्रोनवी0/नैनीताल/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा मैसर्स बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 1.260 है0 भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित 20 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1912/VII-1/49-स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन आवेदक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल को ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 348 अ, 351, 352, 353 अ, 354 अ, 355 अ एवं 291 स कुल रकबा 1.930 है0 मध्ये 1.260 है0 भूमि में 50 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1625/30 जी0सी0/2016-17, दिनांक 27 अप्रैल 2017 के द्वारा प्लांट स्वामी के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत खसरा

(Handwritten signatures and marks)

सं० 348 अ, 349, 350, 351, 352, 353 अ, 355 अ, 354 अ, 291 अ, 291 कुल रकबा 1.855 है० भूमि मे एक समय मे 350 घनमीटर उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञापित दिनांक 19 दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु स्वीकृत की गयी है।

वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रसिंग क्षमता लगभग 180 टन प्रति घंटा आंगणित होती है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के विन्दु संख्या-9 मे उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 64/भू०खनि०ई०/स्टो०क्रो०नवी०/नैनीताल/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम मे उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 उप विन्दु 2 मे निहित प्रावधान के अन्तर्गत मैसर्स बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान मे उपलब्ध कुल रकबा 1.855 है० भूमि मे पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 20 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" मे उल्लिखित समस्त शर्तों (विन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. नीति के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू० 10,88,000/- (रूपये दस लाख अठासी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल मे अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट मे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लांट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्काडिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।

17

17

17

17

8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (ङ) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रसिंग क्षमता लगभग 180 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 180 \times 10 = 1,62,000$ टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 180 \times 10 = 81,000$ टन होती है तथा वर्ष में 6,48,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पत्वारईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

संख्या: 2225 /स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22, तददिनांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्त निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मैसर्स वैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।

28/09/2021
 (एस०एस० पेट्रिक)
 अपर निदेशक।

Handwritten signature
 04/06

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या: 19/2/VII-1/49-स्टोन केशर/2016

देहरादून : दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के 'मध्य पर्वतीय क्षेत्र' हेतु स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजिंग, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 736/स्टोन/भूखनि0ई0/नैनी0/2016-17 दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के द्वारा आवेदक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल को ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 348अ, 351, 352, 353अ, 354अ, 355अ एवं 291स कुल रकवा 1.930 मध्ये 1.260 है0 भूमि में 50 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु स्टोन केशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 का प्रख्यापन किया गया है एवं नई नीति के अनुसार दूरी एवं क्षेत्रफल संबंधी मानकों में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं। किन्तु प्रश्नगत प्रस्ताव में नीति, 2015 के साथ ही विद्यमान नीति, 2016 के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन आवेदक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल को ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 348अ, 351, 352, 353अ, 354अ, 355अ एवं 291स कुल रकवा 1.930 मध्ये 1.260 है0 भूमि में 50 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच वर्ष) की अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन स्टोन केशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

शर्तें-

1. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर परिसर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी0 उंची होगी।
4. स्टोन केशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन केशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन केशर स्वामी पर ₹२० दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
7. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A) Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
8. स्टोन केशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

1. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
2. स्टोन केशर स्वामी द्वारा मारों तथा धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
3. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित विधा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
4. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्वींग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
5. स्टोन केशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
6. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु ज्विंटिंग सिस्टम स्थापित किया जाये जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रीनिंग की जायेगी। स्क्रीनिंग में प्रयुक्त जल को सेलेंटिंग टैंक के माध्यम से रिसार्इकिल किया जायेगा।
7. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर की स्थापना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति उपलब्ध कराया जाना एवं तदनुसार शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
8. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति जिन निजी खनन पट्टों से की जायेगी, यदि उक्त पट्टों की क्षमता स्टोन केशर की क्षमता से कम है, तो स्टोन केशर स्वामी द्वारा अन्य पट्टों से स्टोन केशर हेतु कच्चा माल प्राप्त किये जाने हेतु अनुबन्ध करते हुए, शपथ पत्र पर उसकी सूचना से शासन को अवगत कराया जाना होगा।
9. स्टोन केशर स्वामी द्वारा बैंक लिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।

20/11/16
(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।

डांकन संख्या: (1)/VII-1/48-स्टोन केशर/2016, तद्विनाकित।

तेलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. निवेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. आवेदक बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

GSTIN : 05AAGCB9667H1ZC

संलग्न-२९

103

© : 8859888856 , 9759211022



M/s. BAIJNATH STONE INDUSTRIES PVT. LTD.

Vill. Ratoda (Talla Gaon), Betalghat, Distt. Nainital, Uttarakhand

Ref. No.

Dated 4/02/2022

Dairy No. 2545-1512

Date 05/02/22

File No.

File C. No. Consent

To,
The Member Secretary,
Uttarakhand Pollution Control Board,
46 B, IT Park, Sahastradhara Road,
Dehradun, Uttarakhand.

Subject: submission of Environmental Compensation of Rs. 1,66,500/.
Ref No. UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/170 Dated 02.02.2022.

Respected Sir,

With reference of above subject, please find the enclosed DD of Rs. 1,66,500/- as Environmental Compensation imposed on us vide letter No. UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/170 Dated 02.02.2022, issued from **State Bank of India** in favour of Member Secretary , Uttarakhand Pollution Control Board , Payable at Dehradun.

DD No. 193678 of Rs. 1,66,500/

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For,

Bajnath Stone Industries Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

CC: Regional Officer, UKPCB, Awas Vikas, Haldwani, Distt.- Nainital, Uttarakhand.

5/2/22

भारतीय स्टेट बैंक
जारी करने वाले
State Bank of India
Issuing Branch: HALDWANI
कॉड नं. / CODE No. 00646
Tel No. 05946-280094

A/C Payee

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: RULKAV
Sr. No: 125454

0 4 0 2 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

मागे जानेपर MEMBER SECRETARY UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD.....

ON DEMAND PAY

रुपये RUPEES One Lakh Sixty Six Thousand Five Hundred Only

या उनके अदेश पर
OR ORDER

अदा करें ₹ 166500.00

IOI 000513193678
Name of Applicant

Key: RULKAV Sr. No: 125454
DINESH CHANDRA

AMOUNT BELOW 166501(0/6)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: DEHRA DUN MAIN BRANCH

कॉड नं. / CODE No: 00630

प्रतिभूत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

NO. PANT 1
S. NO. P 8017

कंप्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

कमाल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000- एवं अधिक के निशुद्धन दो अधिकारियों द्वारा उपस्थित होने पर ही वैध।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈ 193678⑈ 0000020001: 000513⑈ 16

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board

"Gauradevi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

2538-1507
04/2/22 105
Car

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/170

Date: 2.02.2022

To,

Speed Post

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.,
Vill. Tallagaon, Betalghat,
District Nainital (Uttarakhand)

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/ process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

WHEREAS, M/S Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

WHEREAS, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening

4/2/22
M/S Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Betalghat

[Handwritten signatures and initials]

Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended;
and

106

WHEREAS, based on recommendation of Joint Team, following directions were issued to the Unit M/S M/S Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, on dated 06.10.2021:

1. The Unit shall expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide proper and complete cover shed in conveyor belts.
3. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2016.
4. The Unit shall provide flow meter at water intake point and maintain proper logbook.
5. The Unit shall take necessary permission from concerned authority for use of surface water (River Kosi).
6. The unit shall provide adequate settling tanks for wastewater treatment.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.


WHEREAS, the Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 132/2001, on dated 10.12.2021 *inter alia* issued following directions:

4. We find that though several deficiencies have been noted in the report, no punitive action has been taken for failure in the past or for future till compliance, including assessment and recovery of compensation on polluter pays principle, which is required for enforcing the law of the land. The State PCB may accordingly initiate such action as per law. Further, in terms of new Policy dated 02.01.2020, changed siting criteria be followed for any grant/renewal of consent by the State PCB after the date of the said policy.

WHEREAS, in compliance of the order of the Hon'ble NGT, inspection of the Unit was carried out by officials of Regional Office, Haldwani (Nainital) of this Board on dated 04.01.2022 and recommended for imposition of an environmental compensation due to operation of unit without appropriate air pollution control measures.


NOW THEREFORE, considering the above observations, and in exercise of the powers conferred under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, an environment compensation of Rs. 166,500.00 only is imposed against the occupier(s) of the Unit, in accordance of order of the Hon'ble NGT in the matter of OA No. 593/2017 and subsequent decision taken and procedure adopted by the State Board in its 22nd Board Meeting. The occupier(s) of the Unit shall submit demand draft of Rs.1,66,500.00 in favor of Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board payable at Dehradun within 30 days of issue of above directions. Further, Occupier(s) of the Unit is hereby directed not to operate the Unit without appropriate air pollution control measures and valid Consent to operate of the Board.

This issues with approval of Competent Authority of the Board.


S.P. Subudhi, IFS
Member Secretary

Copy to:

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action.
3. Guard File.


Member Secretary



012

107

क्षेत्रीय कार्यालय
 उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/

B-137/22/2017-908

Di. 05/01/22

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
 उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 देहरादून।


विषय- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू0के0पी0सी0वी0/एच0ओ0/सा0-183-514/2021/5431-1059 दिनांक 16.12.2021 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 132/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में मै0 बैजनाथ स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 ग्राम-तल्ला गांव, तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल के विरुद्ध दिनांक 17.08.2021 से दिनांक 04.01.2022 तक निर्धारित घटकों के आधार पर रू0 705000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति आख्या सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक- यथोपरि


 (डॉ0 डी0के0 जोशी)
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, को सूचनार्थ सादर प्रेषित।



 क्षेत्रीय अधिकारी









012

 05.01.2022

मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन संख्या 132/2021 मनोज जोशी वनाम
उत्तराखण्ड राज्य अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के संदर्भ में आख्या।

108


कृपया निर्देशानुसार बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183-514/ 2021/5431-1059 दिनांक 16.12.2021 के अनुपालन में दिनांक 04.01.2022 को मै0 बैजनाथ स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 ग्राम-तल्ला गॉव, तहसील-बेतालघाट, जिला-नैनीताल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र पाल सिंह की उपस्थिति में किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर संचालन में नहीं था। केशर द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 132/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित घटकों के आधार पर आकलन निम्नवत है।

S. No	Factor	Value
1.	Pollution Index of Industrial Sector (PI)	40
2.	Numbers of days of violation(N)	Date 17.08.2021 (Joint Inspection) To Date 04.01.2022 Total Days- 141
3.	A Factor in Rupees for EC (R)	100/-
4.	Factor for Scale of operation (S)	1.0
5.	Location Factor (LF)	1.0
6.	Violation factor (VF)	1.25


$$\begin{aligned} \text{पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \times \text{VF} \\ &= 40 \times 141 \times 100 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.25 \\ &= \text{Rs.} 705000/- \end{aligned}$$

अतः उपरोक्तानुसार कुल रू0 705000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहि आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(शुभम गुसाई)
अवर अभियन्ता


(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0 अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी



सदस्य उच्च



REGIONAL OFFICE
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Awas Vikas Colony, Haldwani, Nainital

Phone : 05946-221532, Fax : 05946-225618 Web : www.uttarakhandpcb.org E-mail : rca@uttarakhandpcb.org

IKPCB/HO/Consent/2022/2565-6042

Date: 09/02/22

To,

M/s Baijnath Stone Industries
Khasra No-348,351,352,353,355,192
Vill- Tallagaon, Betalghat
Distt- Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act Air Act and HW Rules respectively).

Consent No- 1924273/B-137/22/2/1825 Date- 04/02/2022

This CCA is hereby granted to M/s Baijnath Stone Industries, Khasra No-348,351,352,353,355,192, Vill- Tallagaon, Betalghat Distt- Nainital. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. CCA is granted for a period upto 31/03/2026 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment Net Assets Values under Slab 01 Crore to 05 Crore

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits & Sand	50MT/Hr	Stone Grits & Sand	50MT Hr

Specific Conditions under Water Act:

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA or CTE	Present CCA(Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	0.5KLD (Zero Discharge)	0.5KLD (Zero Discharge)

(ii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act:-

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ambient Air Quality						
1.	Suspended Particulate matter (SPM)			Not to exceed		600µg/m ³

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required, meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Night Time in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.


4. Conditions under HW Rules:-

- I. Number of authorization and date of issue NA
- II. The Factory Manager of M/s Baijnath Stone Industries, Khasra No-348,351,352,353,355,192, Vill- Tallagaon, Betalghat Distt- Nainital. is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- III. The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.
- IV. The authorization shall be in force for a period upto 31/03/2026
- V. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.


Terms and condition ons of authorization

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	NA	NA	NA

- I. authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
 - II. The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
 - III. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
 - IV. Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 - V. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
 - VI. An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
 - VII. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the MoEF or CPCB.
5. This CCA is valid only for manufacturing process of Different type of Stone Grits & Sand 50MT/Hr.
6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/ Unit:-
- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
- Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.


Regional Officer

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.





Specific Conditions


Annexure

- 1 The Unit shall Strictly comply with the provisions of Water Act, Air & E(P) Act and Rules/Notification made thereunder.
- 2 This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
- 3 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
- 4 The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
- 5 The Industry Strictly Adhere with the specific and general conditions issued with CCA orders. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
- 6 The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
- 7 Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises.
- 8 Unit shall construct metallic road within premises.
- 9 Unit shall provide dust suppression/containment system on all dust emitting sources/equipment.
- 10 Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
- 11 Stone crusher shall be established inside the covered shed.
- 12 Ducting system with ID fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
- 13 The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production process.
- 14 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standard as may be applicable.
- 15 The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulverisers shall strictly follow the provisions of the Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Policy, 2020 promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority with in stipulated time specified in Anugya policy-2020.
- 16 The Industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
- 17 The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
- 18 Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.
- 19 Unit shall comply the final order issued by Hon'ble High Court Nainital in PIL No.212/2019 "Trilok Chand vs. State of uttarakhand and others" case.
- 20 Units shall be conduct quarterly ambient air quality monitoring from board lab or MOEF approved labs and ensure to submit the same to the board.

General Conditions:

- 1 The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
- 2 The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
- 3 The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
- 4 The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak proof.
- 5 The industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
- 6 The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Boards officials.
- 7 Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failures of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
- 8 The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
- 9 In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operations of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
- 10 The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/productions capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission points.
- 11 The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

- 12 The person authorized change shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permissions of the Board.
- 13 Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization
- 14 It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
- 15 The authorization is valid for temporary storage of Hazardous waste within premises only.
- 16 The authorization agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
- 17 It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to closed and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
- 18 Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
- 19 The Storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' Shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
- 20 The Industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
- 21 In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Others Wastes Rules, 2016 shall be submitted to the Board.


Regional Officer











उत्तराखण्ड स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र हेतु मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 23.11.2016 को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित स्टोन केशर प्लान्ट स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 30.11.2016 को उपजिलाधिकारी, कोश्याकुटौली की अध्यक्षता में, स्टोन केशर प्लान्ट के स्थल हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार 100 टन प्रतिदिन क्षमता हेतु आवेदन शुल्क रु. 5,00,000.00 चालान सं0 271/8210 दिनांक 22.11.2016 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा सं0 348अ, 351, 352, 353अ, 354अ, 355अ एवं 291स, कुल रकवा 1.930 है0 मध्ये 1.260 है0 भूमि पर स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूमि, श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री हीरा सिंह, श्री विनोद कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र, श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र झुंजर सिंह, श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री पदम सिंह तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री महेश चन्द्र आदि के नाम वर्ग 1 क की श्रेणी में दर्ज अभिलेख है। भूस्वामियों द्वारा उक्त भूमि पर आवेदक मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 को स्टोन कशर स्थापित करने हेतु अपनी अनापत्ति प्रदान की गई है। नोटराइज्ड लीज डीड संलग्न है। उक्त प्रस्तावित स्थल के उत्तर में श्री कुबेर सिंह पुत्र श्री राम सिंह आदि की भूमि तदपश्चात बेतालघाट-भुजान मार्ग फिर अन्य लोगों की भूमि तथा 250 मीटर से अधिक की दूरी पर कोसी नदी, दक्षिण में गांव वालों की बंजर (अकृषिक भूमि), पूरव में श्री राजेन्द्र प्रसाद आदि की भूमि तदपश्चात 50 मीटर से अधिक की दूरी पर नाला तथा पश्चिम में श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री हीरा सिंह आदि की भूमि स्थित है। मौके पर कहीं-कहीं पर जंगली वृक्ष उगे हुए हैं।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, ट्रेजरी चालान, खाता खतौनी, पार्टनरशिप डीड, समाचार पत्र में निकाली गई विज्ञप्ति, साइट प्लान, खसरा मानचित्र का ब्लू प्रिन्ट, भूस्वामियों की सहमति (लीज डीड) आदि अभिलेख संलग्न किये गये हैं।

आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि उसे कशर लगाने की अनुमति मिल जाती है तो उनके द्वारा पट्टाधारक श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, पट्टा क्षेत्र घंघरेटी एवं श्री देवेन्द्र सिंह जलाल, पट्टा क्षेत्र सेठी बेलगांव से रेता, बजरी खरीद कर निकासी करूंगा। उक्त दोनों पट्टाधारकों द्वारा नोटराइज्ड शपथ पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 को अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टों से रेता, बजरी दिये जाने का अनुबन्ध किया गया है।

वन विभाग की आख्या:-

वन विभाग की आख्यानुसार स्टोन कशर की स्थापना हेतु प्रस्तावित संयंत्र/मध्य बिन्दु से सरकारी वन 50 मीटर से अधिक तथा नदी के किनारे से 250 मीटर से अधिक, बरसाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से 25 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

राजस्व विभाग की आख्या:-

राजस्व विभाग की आख्यानुसार उक्त स्थल प्रस्तावित संयंत्र से नदी के किनारे से 250 मीटर से अधिक, बरसाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से 25 मीटर से अधिक, धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि) से 150 मीटर से अधिक, स्कूल, शिक्षण संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम से 150 मीटर से अधिक, आबादी से 150 मीटर

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

से अधिक की दूरी पर है। आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में उक्त स्थान पर स्टोन कशर स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को विज्ञापित प्रकाशित कराई गई है।

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी की आख्यानुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुपालन हेतु स्टोन कशर में धूल उत्सर्जन नियंत्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख-रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन कशर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. स्टोन कशर स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
2. स्टोन कशर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्राविधानों जैसे, विन्ड ब्रेकिंग वॉल, हरित पट्टिका का विकास/संयंत्रों से उत्पन्न धूल कणों को रोकने हेतु covered एवं sprinkler किया जाना, मैटलिक रोड का निर्माण तथा प्रत्येक दिन सफाई एवं छिडकाव आदि करना सुनिश्चित करेंगे।
3. स्टोन कशर (उद्योग) द्वारा शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तथा संचालन हेतु जल वायु सहमति (सीओपी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खनन विभाग की आख्या:-

खनन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्यानुसार आवेदक को स्टोन कशर स्थापित किये जाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 (यथासंशोधन 2015) एवं उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 अनुसार उपखनिज भण्डारण हेतु अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भण्डारण की अनुमति मिलने के उपरान्त भण्डारित उपखनिज का सही लेखा-जोखा प्रपत्र के अनुसार भण्डारण स्थल पर रखा जाना आवश्यक होगा जिसे जांच/औद्योगिक निरीक्षण के समय सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। भण्डारण किये गये उपखनिज के कय-विकय के सम्बन्ध में मासिक सूचना प्रपत्र एल के माध्यम से प्रतिमाह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल एवं जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। स्टोन कशर रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है। स्टोन कशर प्लान्ट संयंत्र परिसर की चारदीवारी के

अन्दर मध्य में स्थापित करना होगा। स्टोन कशर/स्कीनिंग प्लान्ट के स्वामी द्वारा प्लान्ट के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूराइज्ड धर्मकांटा व सीसीटीवी कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सीडी प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म हल्द्वानी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

श्री प्रकाश सिंह, श्री दीवान सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री मोहन सिंह द्वारा पता रहित पत्र दिनांक 28.11.2016 (संलग्न मूल में) द्वारा मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव में स्टोन कशर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य, दाड़िगा, प्रधान, ग्राम पंचायत, दाड़िगा, सदस्य, क्षेत्र पंचायत, तल्लागांव तथा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत तिवाड़ी गांव द्वारा मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव में स्टोन कशर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो मूल रूप में संलग्न हैं।

भूवैज्ञानिक की आख्या:-

भूवैज्ञानिक की आख्यानुसार आवेदक फर्म मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लिमि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल में स्टोन कशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल खैरना से बेतालघाट को जाने वाले मोटर मार्ग पर, खैरना से लगभग 12 किमी0 की दूरी पर ग्राम तल्लागांव में मोटर मार्ग के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित है। स्थल वर्तमान में एक कृषि भूमि है। निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल पर वर्तमान में स्वस्थानिक प्रजाति की झाड़ियां तथा कुछ वृक्ष आदि विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल एक अनियमित आकार का भूभाग है जो सीडीनुमा खेतों के मूल स्वरूप से निर्मित है। स्थल का उत्तर-पश्चिम की ओर सीडीनुमा कृषि क्षेत्र स्थित है। स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाला खुला पहाड़ी ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें से कुछ भाग को कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है जबकि शेष भाग बंजर भूभाग है। स्थल के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थल से कम ऊंचाई वाला खुला बंजर भूभाग तथा उसके बाद एक बरसाती नाला स्थित है जिसमें निरीक्षण के समय जल प्रवाहित होते हुए नहीं पाया गया। स्थल के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित बरसाती नाले का समरेखण 50°-230° तथा बहाव की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर है जिसमें प्रवाहित होने वाले जल अंतिम रूप से कोसी नदी में प्रवाहित होता है। स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signatures and marks)

सम्पर्क मार्ग तथा उसके बाद कृषि भूमि स्थित है। स्थल के निकट स्थित सम्पर्क मार्ग का समरेखण $120^{\circ}-300^{\circ}$ है। स्थल के उत्तर-पूर्व दिशा की ओर, स्थल से कम ऊंचाई वाले भूभाग में कोसी नदी स्थित है जहां नदी का बहाव दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर है। वर्तमान में स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कोई आवासीय क्षेत्र दृष्टिगोचर नहीं होता है। आवेदक द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 1.260 हेक्टेयर है। स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूखण्ड की परिधि पर स्थित बिन्दू निम्न अक्षांस व देशान्तर पर अवस्थित है:-

- बिन्दू 01: उत्तर $29^{\circ} 33' 04.7''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 00.1''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 02: उत्तर $29^{\circ} 33' 04.1''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 00.3''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 03: उत्तर $29^{\circ} 33' 03.5''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 01.9''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 04: उत्तर $29^{\circ} 33' 02.2''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 01.8''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 05: उत्तर $29^{\circ} 33' 02.8''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 01.2''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 06: उत्तर $29^{\circ} 33' 00.2''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 00.3''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 07: उत्तर $29^{\circ} 33' 00.3''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 03.1''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 08: उत्तर $29^{\circ} 33' 01.8''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 05.1''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 09: उत्तर $29^{\circ} 33' 04.1''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 05.0''$ देशान्तर पर,
 बिन्दू 10: उत्तर $29^{\circ} 33' 04.5''$ अक्षांस व पूर्व $79^{\circ} 24' 03.3''$ देशान्तर पर,

प्रस्तावित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं० 53 O/6 के अन्तर्गत आता है। स्थल का मध्य भाग समुद्र तल से 833 से 862 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले खुले ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें वर्तमान में स्वस्थानिक प्रजाति के वृक्ष तथा झाड़ियाँ विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल एक पहाड़ी ढालदार भूभाग के मध्य स्थित है जिसे पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु छोटे छोटे स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल पर स्वस्थानिक चट्टानें दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। स्थल की सतह पर मोटे कणों वाली भूरे रंग की मृदा का मोटा आवरण है। स्थल की स्थलाकृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्थल को पूर्व में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था परन्तु वर्तमान में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के विकसित सोपानों मध्य स्थित है। स्थल रामगढ़ समूह की नथुवाखान बेतालघाट इकाई तथा जौनसार समूह की नागथाट बेरीनाम फोरमेशन में जंकशन के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूभागों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर ऊपर की ओर स्थित भाग स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग से निर्मित है जो वर्तमान में स्थिर हो गया है। प्रस्तावित स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर कोसी नदी स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण तथा बहाव दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर है। स्थल पर सामान्य ढलाने $15^{\circ}-20^{\circ}$ हैं जिनकी दिशा उत्तर 35° की ओर हैं। स्थल पर स्थित ढलानों को पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग स्थित हैं जिसमें सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक प्रतीत होते हैं। स्थल पर स्टोन क्रशर की स्थापना किये जाने हेतु स्थल को विकसित कर समतल किये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय स्थल पर भूदस्ताव के कोई चिन्ह नहीं पाये गये। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

यदि शासन द्वारा प्रस्तावित स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तो स्थल विकास एवं स्टोन क्रशर की स्थापना हेतु निर्माण कार्य करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्राविधानों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-


1. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग में सुरक्षात्मक कार्य किये जाने अत्यन्त आवश्यक होंगे।
2. स्थल के निकट स्थित सम्पर्क मार्ग से नियमानुसार पर्याप्त दूरी पर ही निर्माण कार्य किया जाना होगा तथा स्थल के चारों ओर नियमानुसार चारदीवारी का निर्माण किया जाना होगा।
3. चयनित स्थल परिसर की सीमा के अन्दर मध्य बिन्दू का निर्धारण नियमानुसार किया जाना होगा तथा स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना होगा।
4. स्थल पर निर्माण कार्य इस प्रकार से किया जाना होगा कि स्थल के निकटवर्ती भूभाग में स्थित कृषि भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंचने पाये।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'S. H.', 'mlob', 'K. H.', 'N. H.', and 'P. H.'.

5. स्थल परिसर में प्रस्तावित कार्यालय भवन आदि का निर्माण करते समय नींव को यथांचित गहराई तक ले जाया जाना तथा भवन का निर्माण भूकम्प के अधिकतम परिमाणों के कम्पनो को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्परोधी तकनीक को अपनाते हुए किया जाना आवश्यक होगा।
6. स्थल पर निर्माण कार्य, स्थल की भारग्रही क्षमता के अनुरूप ही किया जाना होगा।
7. स्थल पर प्रयोग किये जाने वाले जल तथा वर्षाजल की निकासी हेतु सक्षम जलप्रवाह तन्त्र विकसित किया जाना भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य करने के उपरान्त तथा इकाई में उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, स्थल का पुनः निरीक्षण कराया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थल के सम्वन्ध में दी गयी संस्तुतियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया गया है।
9. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं० 1758/VII-1/16/68-रिट /08, देहरादून: दिनांक: 19 नवम्बर, 2016 में दिये गये नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में ही स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त सुझावों के पूर्णतया अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टोन क्रशर के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि आवेदक फर्म द्वारा उपरोक्त सुझावों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये आवेदक फर्म स्वयं ही उत्तरदायी होगी।

अतः मै० बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह० वेतालघाट, जिला नैनीताल में पर्वतीय क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन क्रशर स्थापित करने हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।




(क्षेत्रीय अधिकारी)

संसाधन संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हल्द्वानी



(क्षेत्रीय पटवारी)

ग्राम तल्लागांव



(सर्वेक्षक)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी




(भूवैज्ञानिक)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,



(प्रतिनिधि प्रमाणीय बनाधिकारी)

नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल



(उपनिदेशक खनन)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
हल्द्वानी



(उपजिलाधिकारी)

कांश्वाकुटौली










PROCESS FLOW DIAGRAM MAA GIRIJA STONE CRUSHER



[Handwritten signatures and marks]

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



श्री
म
गि
जा

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a horizontal line with a diagonal slash in the middle, and a small mark on the right.

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Di ~~Di~~ ~~Di~~ ~~Di~~

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय गृह जल प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation
Central Ground Water Authority

संलग्न-37
122

(भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र)
NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	Shree Maa Girja Stone Crusher		
Project Address:	Khasra No-319, 320, 329, 340, Talla Gaon, Betalghat		
Village:	Talla Gaon	Block:	Betalghat
District:	Nainital	State:	Uttarakhand
Pin Code:			
Communication Address:	Shree Maa Girja Stone Crusher, Khata No-319, 320, 329, 340, Village-talla Gaon, Betalghat, Nainital, Uttarakhand - 263134		
Address of CGWB Regional Office :	Central Ground Water Board Uttarakhand Region, 419-a, Kanwali Road, Baluwala , Near Urja Bhawan, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand - 248001		

- NOC No.:** CGWA/NOC/IND/ORIG/2021/12510
- Application No.:** 21-4/1515/UT/IND/2021
- Category:** Safe (GWRE 2017)
- Project Status:** Existing Project
- NOC Type:** New
- Valid from:** 27/07/2021
- Valid up to:** 26/07/2024
- Ground Water Abstraction Permitted:**

Fresh Water		Saline Water		Dewatering		Total	
m ³ /day	m ³ /year						
20.00	3250.00						

9. Details of ground water abstraction /Dewatering structures

Abstraction Structure*	Total Existing No.:1						Total Proposed No.:0					
	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

*DW - Dug Well, DCB Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; MP-Mine Pit,MPu Mine Pits

- Ground Water Abstraction/Restoration Charges paid (Rs.):** 3250.00
- Number of Piezometers(Observation wells) to be constructed/ monitored & Monitoring mechanism.**

No. of Piezometers	Monitoring Mechanism		
	Manual	DWLR**	DWLR With Telemetry
1	1	0	0

**DWLR - Digital Water Level Recorder

(Compliance Conditions given overleaf)

This is an auto generated document & need not to be signed.

18/11, जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011 / 18/11, Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi-110011

Phone: (011) 23383561 Fax: 23382051, 23386743

Website: cgwa-noc.gov.in

पानी बचाये - जीवन बचाये
SAVE WATER - SAVE LIFE

Validity of this NOC shall be subject to compliance of the following conditions:

Mandatory conditions:

- 1) Installation of tamper proof digital water flow meter with telemetry on all the abstraction structure(s) shall be mandatory for all users seeking No Objection Certificate and intimation regarding their installation shall be communicated to the CGWA within 30 days of grant of No Objection Certificate.
- 2) Proponents shall mandatorily get water flow meter calibrated from an authorized agency once in a year.
- 3) Construction of purpose built observation wells (piezometers) for ground water level monitoring shall be mandatory as per Section 14 of Guidelines. Water level data shall be made available to CGWA through web portal. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure II of the guidelines.
- 4) Proponents shall monitor quality of ground water from the abstraction structure(s) once in a year. Water samples from bore wells / tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analysed in NABL accredited laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to CGWA through the web portal.
- 5) In case of mining projects, additional key wells shall be established in consultation with the Regional Director, CGWA for ground water level monitoring four (4) times a year (January, May, August and November) in zone as well as buffer zones of the mine.
- 6) In case of mining project the firm shall submit water quality report of mine discharge/ seepage from Govt. approved/ NABL accredited lab.
- 7) The firm shall report compliance of the NOC conditions online in the website (www.cgwa-noc.gov.in) within one year from the date of issue of this NOC.
- 8) Industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall undertake annual water audit through certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to CGWA. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next three years through appropriate means.
- 9) Application for renewal can be submitted online from 90 days before the expiry of NOC. Ground water withdrawal, if any, after expiry of NOC shall be illegal & liable for legal action as per provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 10) This NOC is subject to prevailing Central/State Government rules/laws/norms or Court orders related to construction of tube well/ground water abstraction structure / recharge or conservation structure/discharge of effluents or any such matter as applicable.

General conditions:

- 11) No additional ground water abstraction and/or de-watering structures shall be constructed for this purpose without prior approval of the Central Ground Water Authority (CGWA).
- 12) The proponent shall seek prior permission from CGWA for any increase in quantum of groundwater abstraction (more than that permitted in NOC for specific period).
- 13) Proponents shall install roof top rain water harvesting in the premise as per the existing building bye laws in the premise.
- 14) The project proponent shall take all necessary measures to prevent contamination of ground water in the premises falling which the firm shall be responsible for any consequences arising thereupon.
- 15) In case of industries that are likely to contaminate the ground water, no recharge measures shall be taken up by the firm inside the plant premises. The runoff generated from the rooftop shall be stored and put to beneficial use by the firm.
- 16) Whenever feasible, requirement of water for greenbelt (horticulture) shall be met from recycled / treated waste water.
- 17) Whenever the NOC is for abstraction of saline water and the existing wells (s) in /are yielding fresh water, the same shall be sealed and new tubewell(s) tapping saline water zone shall be constructed within 3 months of the issuance of NOC. The firm shall also ensure safe disposal of saline residue, if any.
- 18) Unexpected variations in inflow of ground water into the mine pit, if any, shall be reported to the concerned Regional Director, Central Ground Water Board.
- 19) In case of violation of any NOC conditions, the applicant shall be liable to pay the penalties as per Section 16 of Guidelines.
- 20) This NOC does not absolve the proponents of their obligation / requirement to obtain other statutory and administrative clearances from appropriate authorities.
- 21) The issue of this NOC does not imply that other statutory / administrative clearances shall be granted to the project by the concerned authorities. Such authorities would consider the project merits and take decisions independently of the NOC.
- 22) In case of change of ownership, new owner of the industry will have to apply for incorporation of necessary changes in the No Objection Certificate with documentary proof within 60 days of taking over possession of the premises.
- 23) This NOC is being issued without any prejudice to the directions of the Hon'ble NGT/Court orders in cases related to ground water or any other related matters.
- 24) Proponents, who have installed/constructed artificial recharge structures in compliance of the NOC granted to them previously and have availed rebate of upto 50% (fifty percent) in the ground water abstraction charges/ground water restoration charges, shall continue to regularly maintain artificial recharge structures.
- 25) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, pharmaceutical, other hazardous units etc. (as per CGWA list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution as per Annexure III of the guidelines.
- 26) In case of new infrastructure projects having ground water abstraction of more than 20 m³/day, the firm/entity shall ensure implementation of dual water supply system in the projects.
- 27) In case of infrastructure projects, paved/parking area must be covered with interlocking/perforated tiles or other suitable measures to ensure groundwater infiltration/harvesting.
- 28) In case of coal and other base metal mining projects, the project proponent shall use the advance dewatering technology (by construction of series of dewatering abstraction structures) to avoid contamination of surface water.
- 29) The NOC issued is conditional subject to the conditions mentioned in the Public notice dated 27.01.2021 failing which penalty/cancellation of NOC shall be imposed as the case may be.
- 30) This NOC is issued subject to the clearance of Expert Appraisal Committee (EAC) (if applicable).

(Non-compliance of the conditions mentioned above is likely to result in the cancellation of NOC and legal action against the proponent.)






WATER METER LOGBOOK

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION IN KL	PLANT RUNNING HOURS	BORE WELL RUNNING HOURS (Hr:Mt)	OPERATOR SINGNATURE	REMARK
01-04-2022	2908	2922	14	4	04:40	Ram	
02-04-2022	2922	2928	6	0	02:00	TEST	SERVICING
03-04-2022	2928	2942	14	4	04:40	Ram	
04-04-2022	2942	2960	18	8	06:00	Sunij	
05-04-2022	2960	2975	15	5	05:00	Ram	
06-04-2022	2975	2987	12	4	04:00	TEST	
07-04-2022	2987	3003	16	6	05:20	Sunij	
08-04-2022	3003	3020	17	7	05:40	Ram	
09-04-2022	3020	3036	16	5	05:20	Sunij	
10-04-2022	3036	3039	3	0	01:00	Ram	REP & MAINT.
11-04-2022	3039	3041	2	0	00:40	Sunij	REP & MAINT.
12-04-2022	3041	3045	4	0	01:20	TEST	REP & MAINT.
13-04-2022	3045	3050	5	0	01:40	Sunij	REP & MAINT.
14-04-2022	3050	3052	2	0	00:40	Ram	REP & MAINT.
15-04-2022	3052	3055	3	0	01:00	Sunij	REP & MAINT.
16-04-2022	0	2	2	0	01:20	Ram	REP & MAINT.
17-04-2022	2	4	2	0	00:40	Sunij	REP & MAINT.
18-04-2022	4	7	3	0	01:40	TEST	REP & MAINT.
19-04-2022	7	9	2	0	00:40	Sunij	REP & MAINT.
20-04-2022	9	12	3	0	01:00	TEST	REP & MAINT.
21-04-2022	12	16	4	0	01:20	Sunij	REP & MAINT.
22-04-2022	16	30	14	5	02:40	Ram	
23-04-2022	30	42	12	4	04:00	Ram	
24-04-2022	42	55	13	5	04:20	Ram	
25-04-2022	55	71	16	6	05:20	TEST	
26-04-2022	71	78	7	2	02:40	Ram	
27-04-2022	78	83	5	2	02:40	Ram	
28-04-2022	83	99	16	6	05:20	Ram	
29-04-2022	99	113	14	5	04:40	Ram	
30-04-2022	113	126	13	4	04:20	Ram	

TOTAL

For Sri Maa Girija Stone Crusher
SIGNATURE/MANAGER/AUTH.

For Sri Maa Girija Stone Crusher

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

WATER METER LOGBOOK

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION IN KL	PLANT RUNNING HOURS	BORE WELL RUNNING HOURS (Hr:Mt)	OPERATOR SINGNATURE	REMARK
01-05-2022	126	129	3	0	01:00	[Signature]	SERVICING
02-05-2022	129	147	18	7	06:00	[Signature]	
03-05-2022	147	163	16	6	05:20	[Signature]	
04-05-2022	163	180	17	6	05:40	[Signature]	
05-05-2022	180	184	4	0	01:20	[Signature]	REP & MAINT.
06-05-2022	184	187	3	0	01:00	[Signature]	REP & MAINT.
07-05-2022	187	203	16	6	05:20	[Signature]	
08-05-2022	203	218	15	6	05:00	[Signature]	
09-05-2022	218	236	18	7	06:00	[Signature]	
10-05-2022	236	255	19	8	06:20	[Signature]	
11-05-2022	255	272	17	7	06:40	[Signature]	
12-05-2022	272	288	16	6	05:20	[Signature]	
13-05-2022	288	303	15	4	05:00	[Signature]	
14-05-2022	303	320	17	5	05:40	[Signature]	
15-05-2022	320	336	16	5	05:20	[Signature]	
16-05-2022	336	353	17	6	05:40	[Signature]	
17-05-2022	353	371	18	8	06:00	[Signature]	
18-05-2022	371	388	17	7	05:40	[Signature]	
19-05-2022	388	404	16	6	05:20	[Signature]	
20-05-2022	404	409	5	0	01:40	[Signature]	REP & MAINT.
21-05-2022	409	426	17	6	05:40	[Signature]	
22-05-2022	426	440	14	5	04:40	[Signature]	
23-05-2022	440	456	16	5	05:20	[Signature]	
24-05-2022	456	474	18	7	06:00	[Signature]	
25-05-2022	474	491	17	8	05:40	[Signature]	
26-05-2022	491	506	15	6	05:00	[Signature]	
27-05-2022	506	524	18	7	06:00	[Signature]	
28-05-2022	524	543	19	8	06:20	[Signature]	
29-05-2022	543	560	17	6	05:40	[Signature]	
30-05-2022	560	576	16	5	05:20	[Signature]	
31-05-2022	576	592	16	4	05:20	[Signature]	

TOTAL

For Sri Maa Giri Stone Crusher
SIGNATURE MANAGER/ AUTH.

For Sri Maa Giri Stone Crusher

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

WATER METER LOGBOOK

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION IN KL	PLANT RUNNING HOURS	BORE WELL RUNNING HOURS (Hr:Min)	OPERATOR SINGNATURE	REMARK
01-06-2022	592	611	19	8	06:20	[Signature]	
02-06-2022	611	629	18	7	06:00	[Signature]	
03-06-2022	629	645	16	5	05:20	[Signature]	
04-06-2022	645	663	18	6	06:00	[Signature]	
05-06-2022	663	680	17	6	05:40	[Signature]	
06-06-2022	680	683	3	0	01:00	[Signature]	SERVICING
07-06-2022	683	700	17	6	05:40	[Signature]	
08-06-2022	700	715	15	4	05:00	[Signature]	
09-06-2022	715	734	19	8	06:20	[Signature]	
10-06-2022	734	751	17	7	05:40	[Signature]	
11-06-2022	751	767	16	6	05:20	[Signature]	
12-06-2022	767	785	18	7	06:00	[Signature]	
13-06-2022	785	799	14	4	04:40	[Signature]	
14-06-2022	799	813	14	5	04:40	[Signature]	
15-06-2022	813	829	16	6	05:20	[Signature]	
16-06-2022	829	846	17	7	05:40	[Signature]	
17-06-2022	846	862	16	5	05:20	[Signature]	
18-06-2022	862	879	17	6	05:40	[Signature]	
19-06-2022	879	882	3	0	01:00	[Signature]	REP & MAINT.
20-06-2022	882	886	4	0	01:20	[Signature]	REP & MAINT.
21-06-2022	886	889	3	0	01:00	[Signature]	REP & MAINT.
22-06-2022	889	905	16	5	05:20	[Signature]	
23-06-2022	905	920	15	5	05:00	[Signature]	
24-06-2022	920	934	14	4	04:40	[Signature]	
25-06-2022	934	950	16	6	05:20	[Signature]	
26-06-2022	950	963	13	3	04:20	[Signature]	
27-06-2022	963	978	15	5	05:00	[Signature]	
28-06-2022	978	989	11	4	03:40	[Signature]	
29-06-2022	989	1001	12	4	04:00	[Signature]	
30-06-2022	1001	1012	11	4	03:40	[Signature]	

TOTAL

For Sri Maa Girija Stone Crusher
SIGNATURE MANAGER/AUTH.

For Sri Maa Girija Stone Crusher

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

WATER METER LOGBOOK

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION IN KL	PLANT RUNNING HOURS	BORE WELL RUNNING HOURS (Hr:Mi)	OPERATOR SINGNATURE	REMARK
01-07-2022	1012	1031	19	7	06:20	[Signature]	
02-07-2022	1031	1052	21	8	07:00	[Signature]	
03-07-2022	1052	1072	20	8	06:40	[Signature]	
04-07-2022	1072	1092	20	8	06:40	[Signature]	
05-07-2022	1092	1111	19	6	06:20	[Signature]	
06-07-2022	1111	1131	20	8	06:40	[Signature]	
07-07-2022	1131	1151	20	8	06:40	[Signature]	
08-07-2022							
09-07-2022							
10-07-2022							
11-07-2022							
12-07-2022							
13-07-2022							
14-07-2022							
15-07-2022							
16-07-2022							
17-07-2022							
18-07-2022							
19-07-2022							
20-07-2022							
21-07-2022							
22-07-2022							
23-07-2022							
24-07-2022							
25-07-2022							
26-07-2022							
27-07-2022							
28-07-2022							
29-07-2022							
30-07-2022							
31-07-2022							

TOTAL

For Sri Maa Girija Stone Crusher
SIGNATURE MANAGER/AUTH.

For Sri Maa Girija Stone Crusher

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TRACTOR (UK04A-D8504) LOGBOOK

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL RUNNING	TOTAL RUNNING	TOTAL WATER	OPERATOR	REMARK
01-07-2022	1665.2	1665.2	0	00:00		Perera	Service +Repairing
02-07-2022	1665.2	1665.2	0	00:00		Perera	Rainy Day
03-07-2022	1665.2	1667.6	2.4	02:20	6	Perera	
04-07-2022	1667.6	1670.2	2.6	02:40	6	Perera	
05-07-2022	1670.2	1672.8	2.6	02:50	4	Perera	
06-07-2022	1672.8	1675.9	3.1	03:00	5	Perera	
07-07-2022	1675.9	1679.2	3.3	03:20	6	Perera	
08-07-2022	1679.2						
09-07-2022							
10-07-2022							
11-07-2022							
12-07-2022							
13-07-2022							
14-07-2022							
15-07-2022							
16-07-2022							
17-07-2022							
18-07-2022							
19-07-2022							
20-07-2022							
21-07-2022							
22-07-2022							
23-07-2022							
24-07-2022							
25-07-2022							
26-07-2022							
27-07-2022							
28-07-2022							
29-07-2022							
30-07-2022							
31-07-2022							
TOTAL							

TOTAL

For Sri Maa Gikija Stone Crushers
 SIGNATURE MANAGER/AUTH.



TRACTOR (UK04A-D8504) LOGBOOK

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL RUNNING	TOTAL RUNNING	TOTAL WATER	OPERATOR	REMARK
01-06-2022	1578.9	1581.2	2.3	02:20	3	P100M	
02-06-2022	1581.2	1583.9	2.7	02:40	4	P100M	
03-06-2022	1583.9	1588.3	4.4	04:30	6	P100M	
04-06-2022	1588.3	1592.6	4.3	04:20	6	P100M	
05-06-2022	1592.6	1595.4	2.8	02:50	4	P100M	
06-06-2022	1595.4	1599.7	4.3	04:20	6	P100M	
07-06-2022	1599.7	1602	2.3	02:20	4	P100M	
08-06-2022	1602	1605.2	3.2	03:10	5	P100M	
09-06-2022	1605.2	1607.8	2.6	02:30	4	P100M	
10-06-2022	1607.8	1609.4	1.6	01:30	3	P100M	
11-06-2022	1609.4	1612.6	3.2	03:10	5	P100M	
12-06-2022	1612.6	1612.6					Rainy Day
13-06-2022	1612.6	1612.6					Rainy Day
14-06-2022	1612.6	1617.1	4.5	04:30	6	P100M	
15-06-2022	1617.1	1619.5	2.4	02:20	4	P100M	
16-06-2022	1619.5	1623.7	4.2	04:10	6	P100M	
17-06-2022	1623.7	1628	4.3	04:20	6	P100M	
18-06-2022	1628	1630.1	2.1	02:10	4	P100M	
19-06-2022	1630.1	1632.3	2.2	02:10	3	P100M	
20-06-2022	1632.3	1634.7	2.4	02:30	4	P100M	
21-06-2022	1634.7	1639	4.3	04:20	6	P100M	
22-06-2022	1639	1643.9	4.9	05:00	6	P100M	
23-06-2022	1643.9	1646	2.1	02:00	3	P100M	
24-06-2022	1646	1649.2	3.2	03:10	5	P100M	
25-06-2022	1649.2	1652.3	3.1	03:00	4	P100M	
26-06-2022	1652.3	1654.6	2.3	02:20	5	P100M	
27-06-2022	1654.6	1657	2.4	02:20	4	P100M	
28-06-2022	1657	1659.6	2.6	02:40	5	P100M	
29-06-2022	1659.6	1662.7	3.1	03:00	5	P100M	
30-06-2022	1662.7	1665.2	2.5	02:30	4	P100M	
TOTAL							

TOTAL

For Sri Maa Ganga Farms Catcher

SIGNATURE MANAGER/AUTH.

129

[Handwritten Signature]

TRACTOR (UK04A-D8504) LOGBOOK

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL RUNNING	TOTAL RUNNING	TOTAL WATER	OPERATOR	REMARK
01-05-2022	1470.9	1476	5.1	05:00	6	215	
02-05-2022	1476	1479.2	3.2	03:10	5	115	
03-05-2022	1479.2	1484.4	5.2	05:20	6	9504	
04-05-2022	1484.4	1489	4.6	04:40	5		
05-05-2022	1489	1491.2	2.2	02:10	3		
06-05-2022	1491.2	1494.4	3.2	03:10	4		
07-05-2022	1494.4	1498.7	4.3	04:20	5	215	
08-05-2022	1498.7	1504	5.3	05:20	6	10 Pump	
09-05-2022	1504	1508.1	4.1	04:00	5	10 Pump	
10-05-2022	1508.1	1511.3	3.2	03:10	4	10 Pump	
11-05-2022	1511.3	1513.4	2.1	02:00	3	10 Pump	
12-05-2022	1513.4	1517.7	4.3	04:20	5	10 Pump	
13-05-2022	1517.7	1517.7					Maintenance
14-05-2022	1517.7	1517.7					Rainy Day
15-05-2022	1517.7	1521.9	4.2	04:10	5	family	
16-05-2022	1521.9	1524.9	3	03:00	4	family	
17-05-2022	1524.9	1527.5	2.6	02:00	3	family	
18-05-2022	1527.5	1529.8	2.3	02:20	3	512	
19-05-2022	1529.8	1534.5	4.7	04:40	6	512	
20-05-2022	1534.5	1539.8	5.3	05:20	6	512	
21-05-2022	1539.8	1544.5	4.7	04:40	6	512	
22-05-2022	1544.5	1547.2	2.7	02:40	4	512	
23-05-2022	1547.2	1553	5.8	05:50	6	512	
24-05-2022	1553	1558.2	5.2	05:10	6	512	
25-05-2022	1558.2	1558.2				10 Pump	
26-05-2022	1558.2	1561.4	3.2	03:10	4	10 Pump	
27-05-2022	1561.4	1563.5	2.1	02:00	3	10 Pump	
28-05-2022	1563.5	1565.8	2.3	02:20	3	10 Pump	
29-05-2022	1565.8	1570	4.2	04:10	4	10 Pump	
30-05-2022	1570	1573.7	3.7	03:40	5	10 Pump	
31-05-2022	1573.7	1578.9	5.2	05:10	6	10 Pump	
TOTAL							

Per Sri Maa Girija Stone Crusher
SIGNATURE MANAGER/AUTH.

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



[Handwritten signature]

De st

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



Handwritten signature

Handwritten signature

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat , Dist. - Nainital



Handwritten signature

Handwritten signature



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/36 /2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Sri Maa Girja Stone Crusher
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	383.9	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING


- 1 Report No. AAQM/HLD/37/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Sri Maa Girja Stone Crusher
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022 to 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA
- 5 Monitoring Location West-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.6	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.7	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	193.5	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	90.1	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Report No. | AAQM/HLD/38/2022-23 |
| 2 Name of City & Address | M/s Sri Maa Girja Stone Crusher
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand) |
| 3 Date of Monitoring | 07.07.2022 to 08.07.2022 |
| 4 Sample Collected by | Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA |
| 5 Monitoring Location | North-Direction Near Boundary wall |

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.4	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.7	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	188.2	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	86.7	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer



Uttarakhand Pollution Control Board
Awass Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/39/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Sri Maa Girja Stone Crusher
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022 to 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA
- 5 Monitoring Location South- Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.3	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	16.7	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	161.2	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	73.8	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer









Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/40/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Sri Maa Girja Stone Crusher
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 07.07.2022 to 08.07.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA
- 5 Monitoring Location East-Direction Near Boundary wall

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sulphur Dioxide (SO ₂)	4.4	80
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	17.4	80
Suspended Particulate Matter (SPM)	182.6	—
Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) PM ₁₀	77.9	100


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer









Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)

139

NOISE LEVEL MONITORING

1 Report No. Noise/HLD/18/2022-23
2 Name of Industry & Address M/s Sri Maa Girja Stone Crusher
Vill- Talla Gaon, Betalghat
Distt-Nainital (Uttarakhand)
3 Date of Monitoring 07.07.2022
4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA
5 Monitoring Location Within the Premises of Stone Crusher

OBSERVATION

S.No	Monitoring Point	Time	Noise Level dB (A)		
			L max	L min	L eq
1	North-Direction near Wind breaking wall	10:10 -10:20	71.5	52.6	65.1
2	South-Direction near Wind breaking wall	10:35- 10:45	69.3	50.5	63.9
3	East-Direction near Wind breaking wall	11:00 - 11:10	67.1	51.5	63.3
4	West-Direction near Wind breaking wall	11:30 - 11:40	66.8	50.2	60.5
Standard dB (A)					75


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer







भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या : /स्टो0क्र0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22,

दिनांक 25 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तु उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय, आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 08/भू0खनि0ई0/स्टो0क्र0नवी0/नैनी0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा मॉ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड़, हल्द्वानी के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेंतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330 अ, 330 ब, 331 से 335, 347, 348 अ कुल रकबा 1.180 है0 (वर्तमान में उपलब्ध कराये गये मौका खसरा विवरण के अनुसार) भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 07 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1741/VII-1/38-स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1890, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा नीति 2016 में जोड़े गये अतिरिक्त प्रावधान अध्याय-VII में की गयी व्यवस्थानुसार नवीन नीति के प्रख्यापन से पूर्व शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में तत्समय प्रचलित नीति के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर नीति-2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन मॉ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड़, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव, तहसील बेंतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है0, 320 रकबा 0.165 है0, 329 रकबा 0.160 है0, 340 रकबा 0.038 है0, कुल रकबा 0.490 है0 नाप भूमि में 30 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

Asi

Asi

प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में प्लांट की क्षमता 100 टन/घंटा उल्लिखित की गयी है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईज़र, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 08/भूखनि0ई0/स्टोक्रे0नवी0/उघ0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मॉ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्वलेव सी-7, नवाबी रोड़, हल्द्वानी के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330 अ, 330 ब, 331 से 335, 347, 348 अ, कुल रकबा 1.180 है० (उपलब्ध कराये गये मौका खसरा विवरण के अनुसार) भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है-

शर्त :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईज़र, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तों" में उल्लिखित समस्त-शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-स्वन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू० 990,000/- (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-स्वन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज़्ड धमकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिन अधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणशर्तों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में प्लांट की क्षमता 100 टन/घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 100 \times 10 = 90,000$ टन तथा वर्षाकाल से गिन्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 100 \times 10 = 45,000$ टन होती है तथा वर्ष में 3.60 लाख टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पत्थरआईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-I/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

संख्या: 2146/स्टोनक्रेशरनीति/खनन/मूखनिज/नैनी/2021-22, तददिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित नमूने को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व करना सुनिश्चित करें।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या: 174 / VII-1 / 38-स्टोन केशर / 2016

देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के 'मध्य पर्वतीय क्षेत्र' हेतु स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्टराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 655/खनन/स्टोन केशर/नैनीताल/2016-17, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के द्वारा आवेदक माँ गिरीजा स्टोन केशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है०, 320 रकबा 0.165 है०, 329 रकबा 0.160 है०, 340 रकबा 0.036 है० कुल रकबा 0.490 है० नाप भूमि में 200 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन केशर के स्थापना/संचालन हेतु स्टोन केशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 का प्रख्यापन किया गया है एवं नई नीति के अनुसार मानकों में परिवर्तन किये गये हैं। किन्तु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1890/VII-1/16/68-रिट/08 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा नीति, 2016 में जोड़े गये अतिरिक्त प्राविधान अध्याय-VII में की गयी व्यवस्थानुसार नवीन नीति के प्रख्यापन से पूर्व शासन को उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत प्रस्ताव में तत्समय प्रचलित नीति के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन आवेदक माँ गिरीजा स्टोन केशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है०, 320 रकबा 0.165 है०, 329 रकबा 0.160 है०, 340 रकबा 0.036 है० कुल रकबा 0.490 है० नाप भूमि में 30 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर के स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच वर्ष) की अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन स्टोन केशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

शर्तों:-

1. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर परिसर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
4. स्टोन केशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन केशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन केशर स्वामी पर ₹० दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
7. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।

8. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्वेशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
15. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कर्विंग की जायेगी। स्कर्विंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति उपलब्ध कराया जाना एवं तदनुसार शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति जिन निजी खनन पट्टों से की जायेगी, यदि उक्त पट्टों की क्षमता स्टोन क्रेशर की क्षमता से कम है, तो स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अन्य पट्टों से स्टोन क्रेशर हेतु कच्चा माल प्राप्त किये जाने हेतु अनुबन्ध करते हुए शपथ पत्र पर उसकी सूचना से शासन को अवगत कराया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न चैक लिस्ट में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।

16/12/16
(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 174/ (1)/VII-1/38-स्टोन क्रेशर/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. माँ गिरीजा स्टोन क्रेशर, निदेशक श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

Sri Maa Girija Stone Crusher

TALLA GAON, BETALGHAT, DISTT.- NAINITAL (UTTARAKHAND)

HT-44
9412087031
8006477633
145

Sl. No. :

Date: 4/02/2022
Dairy No. 2544-1511...
Date: 05/02/22
File No.
File Sl. No. consent.....

To,
The Member Secretary,
Uttarakhand Pollution Control Board,
46 B, IT Park, Sahastradhara Road,
Dehradun, Uttarakhand.

Subject: submission of Environmental Compensation of Rs. 1,66,500/.
Ref No. UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/168 Dated 02.02.2022.

Respected Sir,

With reference of above subject, please find the enclosed DD of Rs. 1,66,250/- and Rs. 250/- ,Total 1,66,500/ as Environmental Compensation imposed on us vide letter No. UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/168 Dated 02.02.2022, issued from **The Nainital Bank Ltd. in favour of Member Secretary , Uttarakhand Pollution Control Board , Payable at Dehradun.**

DD No. 232861 & 232862 of Rs. 166250/ and 250/ Total 1,66,500/

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For,

Sri Maa Girija Stone Crusher

Auth. Signatory

CC: Regional Officer, UKPCB, Awas Vikas, Haldwani, Distt.- Nainital, Uttarakhand.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



दि नैनीताल बैंक लि० THE NAINITAL BANK LTD. DWNBDIAD0565
 जारी की शाखा Issuing Branch
 M.B.P.G. College Campus, Nainital Road, Haldwani (U.K.)-263139, NTBL0HAL056
 Ph.No. 05946-225769

04-02-2022

DDMMYY

माँगे जाने पर ON DEMAND PAY MEMBER SECRETARY UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES One Lakh Sixty Six Thousand Two Hundred Fifty Only

प्राप्त मूल्य के लिए FOR VALUE RECEIVED

₹ 165250=00

अदा करें।

₹ []

कृते दि नैनीताल बैंक लि०
 For THE NAINITAL BANK LTD.

एह	दक	एना	दला
OT	TT	OL	TL

दि नैनीताल बैंक लि०
 THE NAINITAL BANK LTD.

SERVICE BRANCH=DELHI-[080]

(अदाकर्ता शाखा Drawee Branch)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 Authorised Signatory
 हस्ताक्षर नमूना सं० S.S.No. (P-63)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 Authorised Signatory
 हस्ताक्षर नमूना सं० S.S.No. (P-66)
 Please sign above.

DD/2016

PurchserName SHRI MAA GIRIJA STONE CRUSHER

⑈ 23 286 1 ⑈ 000 184000 ⑈

16



दि नैनीताल बैंक लि० THE NAINITAL BANK LTD. DWNBDIAD0565
 जारी की शाखा Issuing Branch
 M.B.P.G. College Campus, Nainital Road, Haldwani (U.K.)-263139, NTBL0HAL056
 Ph.No. 05946-225769

04-02-2022

DDMMYY

माँगे जाने पर ON DEMAND PAY MEMBER SECRETARY UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Two Hundred Fifty Only

₹ 250=00

प्राप्त मूल्य के लिए FOR VALUE RECEIVED

अदा करें।

₹ []

कृते दि नैनीताल बैंक लि०
 For THE NAINITAL BANK LTD.

एह	दक	एना	दला
OT	TT	OL	TL

दि नैनीताल बैंक लि०
 THE NAINITAL BANK LTD.

SERVICE BRANCH=DELHI-[080]

(अदाकर्ता शाखा Drawee Branch)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 Authorised Signatory
 हस्ताक्षर नमूना सं० S.S.No. (P-63)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 Authorised Signatory
 हस्ताक्षर नमूना सं० S.S.No. (P-66)
 Please sign above.

DD/2016

PurchserName SHRI MAA GIRIJA STONE CRUSHER

⑈ 23 286 2 ⑈ 000 184000 ⑈

16

[Handwritten signatures and marks]

**HEAD OFFICE**

Uttarakhand Pollution Control Board

"Gauradevi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2022/168

Date: 02.02.2022

Speed Post

To,

M/s Sri Maa Girja Stone Crusher,
Vill. Tallgaon, Betalghat,
District Nainital (Uttarakhand)

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/ process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

WHEREAS, M/S Sri Maa Girja Stone Crusher, located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

WHEREAS, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening

147

2540-1509
04/02/22
Cant

Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended; and

WHEREAS, based on recommendation of Joint Team, following directions were issued to the Unit M/S Sri Maa Girja Stone Crusher, under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, on dated 06.10.2021:

1. The Unit expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
3. The Unit shall complete cover shed in conveyor belts.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy.
5. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.


WHEREAS, the Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 132/2001, on dated 10.12.2021 *inter alia* issued following directions:

4. We find that though several deficiencies have been noted in the report, no punitive action has been taken for failure in the past or for future till compliance, including assessment and recovery of compensation on polluter pays principle, which is required for enforcing the law of the land. The State PCB may accordingly initiate such action as per law. Further, in terms of new Policy dated 02.01.2020, changed siting criteria be followed for any grant/renewal of consent by the State PCB after the date of the said policy.

WHEREAS, in compliance of the order of the Hon'ble NGT, inspection of the Unit was carried out by officials of Regional Office, Haldwani (Nainital) of this Board on dated 04.01.2022 and recommended for imposition of an environmental compensation due to operation of unit without appropriate air pollution control measures.


NOW THEREFORE, considering the above observations, and in exercise of the powers conferred under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, an environment compensation of **Rs. 166,500.00** only is imposed against the occupier(s) of the Unit, in accordance of order of the Hon'ble NGT in the matter of OA No. 593/2017 and subsequent decision taken and procedure adopted by the State Board in its 22nd Board Meeting. The occupier(s) of the Unit shall submit demand draft of Rs.1,66,500.00 in favor of Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board payable at Dehradun within 30 days of issue of above directions. Further, Occupier(s) of the Unit is hereby directed not to operate the Unit without appropriate air pollution control measures and valid Consent to operate of the Board.

This issues with approval of Competent Authority of the Board.


S.P. Subudhi, IFS
Member Secretary

Copy to:

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action.
3. Guard File.


Member Secretary



UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

149

Ref: UKPCB/ROH/S-326/22/2018-969

Dt- 05/01/22

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183-514/2021/5431-1059 दिनांक 16.12.2021द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 132/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में मै0 श्री मॉ गिरजा स्टोन केशर ग्राम-तल्ला गांव, तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल के विरुद्ध दिनांक 17.08.2021 से दिनांक 04.01.2022 तक निर्धारित घटकों के आधार पर रू0 423000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति आख्या सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

01/

05.01.2022

मा० एन०जी०टी० में मूल आवेदन संख्या 132/2021 मनोज जोशी वनाम
उत्तराखण्ड राज्य अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के संदर्भ में आख्यां।

कृपया निर्देशानुसार बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू०के०पी०सी०वी०/एच०ओ०/सा०-183-514/2021/
5431-1059 दिनांक 16.12.2021 के अनुपालन में दिनांक 04.01.2022 को मै० श्री माँ गिरजा स्टोन केशर ग्राम-तल्ला
गांव, तहसील-बेतालघाट जिला-नैनीताल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री पुष्कर सिंह
मेहरा की उपस्थिति में किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर संचालन में नहीं था। केशर द्वारा मा०
एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन संख्या 132/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में उद्योग के
विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित घटकों के आधार पर आकलन निम्नवत है।

S. No	Factor	Value
1.	Pollution Index of Industrial Sector (PI)	40
2.	Numbers of days of violation(N)	Date 17.08.2021 (Joint Inspection) To Date 04.01.2022 Total Days- 141
3.	A Factor in Rupees for EC (R)	100/-
4.	Factor for Scale of operation (S)	0.5
5.	Location Factor (LF)	1.0
6.	Violation factor (VF)	1.25

$$\begin{aligned} \text{पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \times \text{VF} \\ &= 40 \times 141 \times 100 \times 0.5 \times 1.0 \times 1.25 \\ &= \text{Rs.} 352500 / - (2500/\text{day}) \end{aligned}$$

न्यूनतम पर्यावरण क्षतिपूर्ति (1500+1500)=3000/दिन है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति= 141 X
3000=423000/- है।

अतः उपरोक्तानुसार कुल रू० 423000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित
आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(शुभम गुसाई)
अवर अभियन्ता

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक सचिव

क्षेत्रीय अधिकारी

सदस्य सचिव



REGIONAL OFFICE
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Awasthi Vikas Colony, Haldwani, Nainital

Phone : 05946-221532, Fax : 05946-225618 Web : www.upcb.ub.gov.in E-mail : ro.haldwani@gmail.com

KPCB/HO/Consent/2022/2564-1041

Date: 03/02/22

To,

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher
Khasra No-319,320,329,340
Vill- Tallagaon, Betalghat
Distt- Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

Consent No- 1756356/S-326/22/3/1504

Date- 04/02/2022

This CCA is hereby granted to M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Khasra No-319,320,329,340 Vill- Tallagaon, Betalghat Distt- Nainital. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. CCA is granted for a period upto 31/03/2026 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment Net Assets Values under Slab 01 Crore to 05 Crore

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits & Sand	6000MT/Month	Stone Grits & Sand	6000MT/Month

2. Specific Conditions under Water Act:

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA or CTE	Present CCA(Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	0.5KLD (Zero Discharge)	0.5KLD (Zero Discharge)

- (ii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

- Conditions under Air Act:-

- (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ambient Air Quality						
1.	Suspended Particulate matter (SPM)			Not to exceed		600µg/m ³

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

AP

JP

AP

JP

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Night Time in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules:-

- I. Number of authorization and date of issue NA
- II. The Factory Manager of M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Khasra No-319,320,329,340 Vill- Tallagaon, Betalghat Distt- Nainital. is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- III. The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.
- IV. The authorization shall be in force for a period upto 31/03/2026
- V. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
I	NA	NA	NA

- I. authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
 - II. The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
 - III. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
 - IV. Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 - V. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
 - VI. An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
 - VII. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the MoEF or CPCB.
5. This CCA is valid only for manufacturing process of Different type of Stone Grits & Sand 6000MT/Month.
 6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/ Unit:-
 - (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
 7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
 8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
 9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Regional Officer

Regional Officer

Scanned with CamScanner

- 1 The Unit shall Strictly comply with the provisions of Water Act, Air & E(P) Act and Rules/Notification made thereunder.
- 2 This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
- 3 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
- 4 The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
- 5 The Industry Strictly Adhere with the specific and general conditions issued with CCA orders. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
- 6 The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
- 7 Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises.
- 8 Unit shall construct metallic road within premises.
- 9 Unit shall provide dust suppression/containment system on all dust emitting sources/equipment.
- 10 Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
- 11 Stone crusher shall be established inside the covered shed.
- 12 Ducting system with ID fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
- 13 The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production process.
- 14 The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standard as may be applicable.
- 15 The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulvisers shall strictly follow the provisions of the Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Policy, 2020 promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority with in stipulated time specified in Anugya policy-2020.
- 16 The Industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
- 17 The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
- 18 Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.
- 19 Unit shall comply the final order issued by Hon'ble High Court Nainital in PIL No.212/2019 "Trilok Chand vs. State of uttarakhand and others" case.
- 20 Units shall be conduct quarterly ambient air quality monitoring from board lab or MOEF approved labs and ensure to submit the same to the board.

General Conditions:

- 1 The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
- 2 The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
- 3 The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
- 4 The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak proof.
- 5 The industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
- 6 The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Boards officials.
- 7 Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failures of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
- 8 The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
- 9 In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operations of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
- 10 The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/productions capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission points.
- 11 The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA as may be necessary.







To,

807/UE

- 12 The person authorized change shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permissions of the Board.
- 13 Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization
- 14 It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
- 15 The authorization is valid for temporary storage of Hazardous waste within premises only.
- 16 The authorization agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
- 17 It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to closed and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
- 18 Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
- 19 The Storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' Shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
- 20 The Industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
- 21 In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Others Wastes Rules,2016 shall be submitted to the Board.


Regional Officer

01/11/16

M/s Shree Maa Girija Stone Crusher, Talla Gaon, Tehsil - Betalghat, Dist. - Nainital



दि ॥ ॥ ॥ ॥

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मध्य पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन कशर/स्कीनिंग प्लान्ट, प्लवराईजर, गोबाइल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति 2015 के अनुसार मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 200 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 200 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट, प्लवराईजर, गोबाइल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति 2015 के अनुसार मध्य पर्वतीय क्षेत्र हेतु आवेदन शुल्क रु. 5,00,000.00 चालान सं0 5811/30 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त, प्रस्तावित स्टोन केशर प्लान्ट स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2016 को उपजिलाधिकारी, कोश्याकुटौली की अध्यक्षता में, स्टोन कशर प्लान्ट के स्थल हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया।

मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा सं0 319 रकवा 0.129 है0, 320 रकवा 0.165 है0, 329 रकवा 0.160 है0, 340 रकवा 0.036 है0, कुल रकवा 0.490 है0 भूमि पर स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूमि, श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह आदि, श्री रवीन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व0 श्री कुंवर सिंह आदि एवं श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह आदि के नाम बर्ग 1 क की श्रेणी में दर्ज अभिलेख है। भूस्वामियों द्वारा उक्त भूमि आवेदक मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता को कशर स्थापित करने हेतु 30 वर्ष हेतु किराये पर दी गई है। नोटराइज्ड सहमति पत्र/शपथ पत्र संलग्न है। प्रस्तावित स्थल के उत्तर में रतौड़ा-बेतालघाट मार्ग, दक्षिण में गांव वालों की नाप भूमि, पूरव में गांव वालों की नाप भूमि तथा पश्चिम में रतौड़ा-बेतालघाट मार्ग तदपश्चात गांव की नाप भूमि स्थित है।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, ट्रेजरी चालान, खाता खतौनी, पार्टनरशिप डीड, समाचार पत्र में निकाली गई विज्ञप्ति, साइट प्लान, खसरा मानचित्र का ब्लू प्रिन्ट, भूस्वामियों की सहमति आदि अभिलेख संलग्न किये गये हैं। आवेदित मां0 गिरीजा स्टोन कशर के निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के पक्ष में ग्राम बर्घा, तह0 कोश्याकुटौली, जिला नैनीताल तथा पार्टनर श्री पुष्कर मेहसा के पक्ष में ग्राम मल्ला बर्घा, तह0 कोश्याकुटौली, जिला नैनीताल में रस्ता, बजरी बोल्डर के खनन पट्टे स्वीकृत है। उक्त स्टोन कशर हेतु इनके द्वारा अपने खनन पट्टों से कच्चा माल/उपखनिज कय किया जायेगा।

वन विभाग के अनुसार स्टोन कशर की स्थापना हेतु प्रस्तावित संयंत्र/मध्य विन्दु से सरकारी वन 50 मीटर से अधिक तथा नदी के किनारे से 50 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

राजस्व विभाग के अनुसार उक्त स्थल प्रस्तावित संयंत्र से नदी से 50 मीटर से अधिक, बरसाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से 25 मीटर से अधिक, धार्मिक स्थल (मन्दिर, मरिजद, गुरुद्वारा, चर्च आदि) से 50 मीटर से अधिक, स्कूल, शिक्षण संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम से 100 मीटर तथा आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान) से 100 मीटर अधिक की दूरी पर स्थित है। आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र उत्तर उजाला में उक्त स्थान पर स्टोन कशर स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है।




क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी के निरीक्षण दिनांक 04.11.2016 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुपालन हेतु स्टोन कशर में धूल उत्सर्जन नियंत्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख-रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन कशर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।



1. स्टोन कशर स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
2. स्टोन कशर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्राविधानों जैसे, विन्ड ब्रेकिंग वॉल, हरित पट्टिका का विकास/संयंत्रों से उत्पन्न धूल कणों को रोकने हेतु covered एवं sprinkler किया जाना, मेटलिक रोड का निर्माण तथा प्रत्येक दिन सफाई एवं छिड़काव आदि करना सुनिश्चित करेंगे।


(4)

6. स्थल पर निर्माण कार्य, स्थल की भारगही क्षमता के अनुरूप ही किया गया होगा।
7. स्थल पर प्रयोग किये जाने वाले जल तथा वर्गाजल की दिशाही इस स्थल पर प्रयोग के लिए आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य करने के उपरान्त तथा इकाई में उपयोग के लिए प्रस्तावित स्थल पर पुनः निरीक्षण कराया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया गया है।
9. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग के शासनपत्र सं. 1026, VII-1, 21.12.1998, पृ. 117 देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2015 में दिये गये निर्देश एवं शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य को अग्रिम में प्रस्तावित शर्तों का पालन कराया जाना है। प्रस्तावित सुझावों के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सुझावों का पालन प्रस्तावित शर्तों के अन्तर्गत ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टेन द्वारा की जायेगा। प्रस्तावित सुझावों का पालन प्रस्तावित शर्तों के अन्तर्गत ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टेन द्वारा की जायेगा। यदि आवेदक फर्म द्वारा उपरोक्त सुझावों का पालन अनुपालन नहीं किया जायेगा तो प्रस्तावित स्थल पर स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्रस्तावित शर्तों का पालन प्रस्तावित शर्तों के अन्तर्गत ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टेन द्वारा की जायेगा।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महादेव के अवलोकनार्थ एव अग्रिम प्रस्तावित शर्तों का सादर प्रेषित।

 (डायरेक्टर अतिरिक्त) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी	 (संयुक्त निरीक्षक) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी	 (संयुक्त निरीक्षक) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी	 (संयुक्त निरीक्षक) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी
---	---	--	---

 (सहायक भूगर्भीय इंजीनियर) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी	 (प्रतिनिधि भूगर्भीय इंजीनियर) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी	 (सहायक भूगर्भीय इंजीनियर) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी
---	---	---


(सहायक भूगर्भीय इंजीनियर)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी



कार्यालय उपजिलाधिकारी कोश्याँ कुटौली जिला नैनीताल

पत्र संख्या- 46 / एस०टी० / 2022

दिनांक

24, अप्रैल, 2022

क्षेत्रीय कार्यालय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

विषय- मा०एन.जी.टी में योजित मूल आवेदन सं- 264/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 के सम्बंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या- UKPCB/ROH/RC दिनांक 25.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा०एन.जी.टी में योजित मूल आवेदन सं- 264/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 के सम्बंध में पूर्ण आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बंध में राजस्व उपनिरीक्षक ऊँचाकोट द्वारा जाँच करवायी गयी, राजस्व उपनिरीक्षक ऊँचाकोट की जाँच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

(राहुल शाह)

उप जिलाधिकारी,
कोश्याँ कुटौली।

0/1

1/1

1/1

1/1

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी

कोश्या कुटौली

जिला नैनीताल

विषय- मा0 एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन सं.-264/2021 में पारित आदेश दि. 07.04.2022 के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक मा0 एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन सं.-264/2021 में पारित आदेश दि. 07.04.2022 द्वारा बेतालघाट जिला नैनीताल में स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर मै0 माँ नन्दा स्टोन क्रेशर, मै0 बैजनाथ स्टोन इंडस्ट्रीज, मै0 श्री माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर से कृषि भूमि तथा आबादी की दूरी वांछित है। जिस संबंध में आज दि. 26.04.2022 को मुझ राजस्व उपनिरीक्षक ऊँचाकोट के द्वारा मौके में जाकर मै0 माँ नन्दा स्टोन क्रेशर की जाँच की गई। जो निम्न प्रकार से है-

क्र.सं.	क्रेशर का नाम व पता	क्रेशर के डक से आबादी की दूरी (मी.) में	क्रेशर के डक से कृषि भूमि की दूरी (मी.) में
1.	माँ नन्दा स्टोन क्रेशर, ग्राम रौलिया लग्गा नैनी चौक मयपाँच चौक	(1) क्रेशर के डक से निकटतम आबादी की दूरी 345 मी. है। (2) क्रेशर के डक से उत्तर दिशा में 126 मी. की दूरी पर एक भवन स्थित है जिसको स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा लीज पर लिया गया है।	क्रेशर व भण्डारण के बाहर से बने वहारदीवारी के बाहर कृषि भूमि स्थित है, जो वर्तमान में बंजर है।

राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी ऊँचाकोट निरीक्षक
राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील-बेतालघाट

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी

कोश्या कुटौली

जिला नैनीताल

विषय- मा0 एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन सं.-264/2021 में पारित आदेश दि. 07.04.2022 के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक मा0 एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन सं.-264/2021 में पारित आदेश दि. 07.04.2022 द्वारा बेतालघाट जिला नैनीताल में स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर मै0 माँ नन्दा स्टोन क्रेशर, मै0 बैजनाथ स्टोन इंडस्ट्रीज़, मै0 श्री माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर से कृषि भूमि तथा आबादी की दूरी वांछित है। जिस संबंध में आज दि. 26.04.2022 को मुझ राजस्व उपनिरीक्षक ऊँचाकोट के द्वारा मौके में जाकर मै0 बैजनाथ स्टोन इंडस्ट्रीज़ की जाँच की गई। जो निम्न प्रकार से है-

क्र.सं.	क्रेशर का नाम व पता	क्रेशर के डक से आबादी की दूरी (मी.) में	क्रेशर के डक से कृषि भूमि की दूरी (मी.) में
1.	बैजनाथ स्टोन इंडस्ट्रीज़ ग्राम तल्लागाँव	क्रेशर के डक से निकटतम आबादी की दूरी 220 मी. है।	क्रेशर व भण्डारण के बाहर से बने चहारदीवारी के बाहर कृषि भूमि स्थित है, जो वर्तमान में बंजर है।

25-04-2022
 राजस्व उपनिरीक्षक
 प्रवीण सिंह हथौकी
 पदवी ऊँचाकोट
 राजस्व उप निरीक्षक
 राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील-बेतालघाट

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी

कोश्या कुटौली

जिला नैनीताल

विषय— मा0 एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन सं.-264/2021 में पारित आदेश दि. 07.04.2022 के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक मा0 एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन सं.-264/2021 में पारित आदेश दि. 07.04.2022 द्वारा बेतालघाट जिला नैनीताल में स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर मै0 गाँ नन्दा स्टोन क्रेशर, मै0 बैजनाथ स्टोन इंडस्ट्रीज़, मै0 श्री माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर से कृषि भूमि तथा आबादी की दूरी वांछित है। जिस संबंध में आज दि. 26.04.2022 को मुझ राजस्व उपनिरीक्षक ऊँचाकोट के द्वारा मौके में जाकर मै0 श्री माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर की जाँच की गई। जो निम्न प्रकार से है—

क्र.सं.	क्रेशर का नाम व पता	क्रेशर के डक से आबादी की दूरी (मी.) में	क्रेशर के डक से कृषि भूमि की दूरी (मी.) में
1.	श्री माँ गिरिजा स्टोन क्रेशर, ग्राम तल्लागाँव	क्रेशर के डक से निकटतम आबादी की दूरी 394 मी. है।	क्रेशर व भण्डारण के बाहर से बने चहारदीवारी के बाहर कृषि भूमि स्थित है, जो वर्तमान में बंजर है।

4.4
26-04-2022
राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व पुतिता क्षेत्र तहसील—बेतालघाट





HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board

"Gauradevi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.uoppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2021/70

Date: 6.10.2021

Speed Post

To,

M/s Shri Maa Girja Stone Crusher,
Vill. Tallgaon, Betalghat,
District Nainital (Uttarakhand)

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

WHEREAS, M/S Maa Girja Stone Crusher, located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

WHEREAS, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and

Contd..... page-2

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including a date stamp "18/10/21" and various initials.

-2-
Handwritten signature or mark at the bottom center.

Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended, and recommended to issue following directions:

- 1 The Unit expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
- 2 The Unit should provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
- 3 The Unit should complete cover shed in conveyor belts.
- 4 The Unit should provide adequate green belt as per State Policy.
- 5 The Unit should ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

NOW THEREFORE, considering the observations and recommendation made by the Joint Committee, and in exercise of the powers conferred under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, with approval of the Competent Authority of the Board, the Unit i.e M/S Maa Girja Stone Crusher, located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand is hereby directed to ensure compliance of following and submit compliance report to Boards' offices with 30 days of issue of directions. Failing which it would be presumed that Unit is perpetually violating the provisions of aforesaid Act/Policy and further action would be taken against the Unit, which include directions to concerned authority for discontinue power supply of the Unit and/or imposition of an environmental compensation as per decision of 23rd Board meeting held on 29.11.2019.

- 1 The Unit expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
- 2 The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
- 3 The Unit shall complete cover shed in conveyor belts.
- 4 The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy.
- 5 The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

S.P. Subudhi, IFS
Member Secretary

Copy to:

- 1 District Magistrate, Nainital for kind information please.
- 2 Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action. Compliance verification report be forwarded to this office in due course of time.
- 3 Consent file of M/S Maa Girja Stone Crusher, located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand.
- 4 Guard File.

Member Secretary

Ati

Ati

Ati



HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)
Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

1484-842

14/10/21

Gw

166

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2021/72

Date: 6.10.2021

Speed Post

To,

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.,
Vill. Tallagaon, Betalghat,
District Nainital (Uttarakhand)

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

WHEREAS, Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

WHEREAS, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021. *inter alia* issued following directions:

2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and

Contd..... page-2

10/10/21

Asi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended, and recommended to issue following directions:

1. The Unit expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit should provide proper and complete cover shed in conveyor belts.
3. The Unit should provide adequate green belt as per State Policy, 2016.
4. The Unit should provide flow meter at water intake point and maintain proper logbook.
5. The Unit should take necessary permission from concerned authority for use of surface water (River Kosi).
6. The unit should provide adequate settling tanks for wastewater treatment.
7. The Unit should ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

NOW THEREFORE, considering the observations and recommendation made by the Joint Committee, and in exercise of the powers conferred under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, with approval of the Competent Authority of the Board, the Unit i.e **Bajjnath Stone Industries Pvt. Ltd.**, located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand is hereby directed to ensure compliance of following, and submit compliance report to Boards' offices with 30 days of issue of directions. Failing which it would be presumed that Unit is perpetually violating the provisions of aforesaid Act/Policy and further action would be taken against the Unit, which include directions to concerned authority for discontinue power supply of the Unit and/or imposition of an environmental compensation as per decision of 23rd Board meeting held on 29.11.2019.

1. The Unit shall expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide proper and complete cover shed in conveyor belts.
3. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2016.
4. The Unit shall provide flow meter at water intake point and maintain proper logbook.
5. The Unit shall take necessary permission from concerned authority for use of surface water (River Kosi).
6. The unit shall provide adequate settling tanks for wastewater treatment.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

S.P. Subudhi, IFS
Member Secretary

Copy to:

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action. Compliance verification report be forwarded to this office in due course of time.
3. Consent file of Bajjnath Stone Industries Pvt. Ltd., Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand.
4. Guard File.

Member Secretary

168

1485-843
17/10/21
Cm



HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board

"Gauradevi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2021(7)

Date: 6.10.2021

Speed Post

To,

M/s Shri Maa Nanda Crusher,
Naini Chowk, Betalghat,
Vill. Darmin, Betalghat,
District Nainital (Uttarakhand)

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

WHEREAS, M/S Shri Maa Nanda Crusher, located at Naini Chowk, Betalghat, Vill. Darmin, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

✓ WHEREAS, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

WHEREAS, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and
Contd..... page-2

Handwritten signatures and dates at the bottom left, including "17/10/21" and "Ari".

Handwritten signatures at the bottom center.

Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended, and recommended to issue following directions:

1. The Unit should provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit should provide adequate pucca settling tanks for wastewater treatment.
3. The Unit should provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
4. The Unit should provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit should complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit should maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
7. The Unit should ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.


NOW THEREFORE, considering the observations and recommendation made by the Joint Committee, and in exercise of the powers conferred under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, with approval of the Competent Authority of the Board, the Unit i.e M/S Shri Maa Nanda Crusher, located at Naini Chowk, Betaighat, Vill. Darmin, Betaighat, District Nainital, Uttarakhand is hereby directed to ensure compliance of following, and submit compliance report to Boards' offices with 30 days of issue of directions. Failing which it would be presumed that Unit is perpetually violating the provisions of aforesaid Act/Policy and further action would be taken against the Unit, which include directions to concerned authority for discontinue power supply of the Unit and/or imposition of an environmental compensation as per decision of 23rd Board meeting held on 29.11.2019.

1. The Unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide adequate pucca settling tanks for wastewater treatment.
3. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling. ✓
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

S.P. Subudhi, IFS
Member Secretary

Copy to:

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action. Compliance verification report be forwarded to this office in due course of time.
3. Consent file of M/S Shri Maa Nanda Crusher, Betaighat, Vill. Darmin, Betaighat, District Nainital, Uttarakhand.
4. Guard File.


Member Secretary





UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/0A-132/21 | 1240-548

Dt 16/09/21

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 132/2021, मनोज जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.06.2021 पारित आदेशों के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-514/1517-306 दिनांक 06.07.2021 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा प्रश्नगत स्टोन केशरों का स्थल निरीक्षण दिनांक 17.08.2021 को किया गया है। निरीक्षण आख्या संलग्नों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

File
(डॉ0 आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि- 1. जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. श्री रूना ओरान, वैज्ञानिक डी0 क्षेत्रीय निर्देशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ0प्र0) को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

File
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

File
16.09.21

File

File

File



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
'गौरा देवी पर्यावरण भवन'

171

46वी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001

पत्रांक-यूकेपीसीबी / एच.ओ. / 183-514/157-306

दिनांक 07.07.2021

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-32।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, इन्दिरा नगर कॉलोनी, वसंत विहार, देहरादून-248006।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 132/2021, मनोज जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 24.06.2021 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 132/2021, मनोज जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 24.06.2021 को पारित आदेश निम्नवत् है:-

"We find it appropriate to require a joint committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action."

उपरोक्त प्रकरण पर संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 08.10.2021 से पूर्व एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत की जानी है। अग्रतर अवगत होना चाहें कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 132/2021, मनोज जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.06.2021 में संयुक्त समिति हेतु राज्य बोर्ड की ओर से डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल (मो0 नं0 9411101556) को सदस्य नामित किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण पर संयुक्त समिति हेतु सदस्य नामित करते हुये क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण पर जांच कर ससमय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

भवदीय

(एस0पी0 सुदी) 5.7.21
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण से सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर दिनांक 08.10.2021 से पूर्व एक्शन टेकन रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

5.7.21
सदस्य सचिव

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248001

कार्यालय दूरभाष सं०-2976157, 2976158, 2607092

पत्रांक:यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा०-183-514/2021/5431-1059 दिनांक: 16.12.2021
पंजीकृत डाक

मा० एन०जी०टी० मेटर

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
हल्द्वानी।

विषय:- मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन सं०-132/2021 मनोज जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 का सदंर्भ ग्रहण करना चाहें। मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्देशित किया गया है कि:-

4. We find that though several deficiencies have been noted in the report, no punitive action has been taken for failure in the past or for future till compliance, including assessment and recovery of compensation on polluter pays principle, which is required for enforcing the law of the land. The State PCB may accordingly initiate such action as per law. Further, in terms of new Policy dated 02.01.2020, changed siting criteria be followed for any grant/renewal of consent by the State PCB after the date of the said policy.

प्रकरण से सम्बन्धित स्टोन क्रेशरों के निरीक्षण हेतु गठित संयुक्त टीम की संस्तुतियों के क्रम में विषयगत प्रकरण में आच्छादित तीन स्टोन क्रेशरों क्रमशः M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Vill. Talla Gaon, Tehsil Betalghat, Distt. Nainital, M/s Maa Nanda Crusher, Naini Chowk, Vill. Darmin, Tehsil Betalghat, Distt. Nainital & M/s Maa Girja Stone Crusher, Vill. Talla Gaon, Tehsil Betalghat, Distt. Nainital को राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 06.10.2021 को वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31(A) के अंतर्गत निर्देश निर्गत किये गये थे। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में Polluter pays principles के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित स्टोन क्रेशरों में जल्लंघन के दिवसों की गणना एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक यथापरि।

महोदय,
15.12.21
(एस०एस० पाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी।

Time
Board

Imp
NAT
mail

S. N. S. / N. N. / 23/12/21

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



Analyzing for an Assured Future

NOIDA TESTING LABORATORIES 173

(A Government Approved Testing Laboratory)

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-120122-015	15/01/2022

Issued To: Shri Maa Nanda Stone Crusher
Address: Village - Tallagaon, Tehsil - Betalghat, District - Nainital, Uttarakhand

Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory
 Date of Sampling : 11/01/2022
 Sample Description : Ambient Air
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08
 Analysis Duration : 12/01/2022 to 15/01/2022
 Sampling Location : 10 meter away from Crushing Unit
 Average Flow Rate of SPM (m³/min.) : 1.10
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0
 Sampling Instrument Used : Respirable Dust Sampler
 Weather Condition : Clear

TEST RESULT					
S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	378.0	µg /m ³	600.0

Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY

AUTHORIZED SIGNATORY



Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttarakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Katgodam, Haldwani, Uttarakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www.noidalabs.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Analyzing for an Assured
Future

NOIDA TESTING LABORATORIES ¹⁷⁴

(A Government Approved Testing Laboratory)

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-120122-012	15/01/2022

Issued To: M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.
Address: Village - Tallagaon, Tehsil - Betalghat, District - Nainital, Uttarakhand

Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory
Date of Sampling : 11/01/2022
Sample Description : Ambient Air
Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08
Analysis Duration : 12/01/2022 to 15/01/2022
Sampling Location : 10 meter away from Crushing Unit
Average Flow Rate of SPM (m³/min.) : 1.10
Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0
Sampling Instrument Used : Respirable Dust Sampler
Weather Condition : Clear

TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	382.0	µg/m ³	600.0

Notes:

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
3. This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
4. The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY

AUTHORIZED SIGNATORY



Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www.noidalabs.com



Analyzing for an Assured Future

NOIDA TESTING LABORATORIES 175

(A Government Approved Testing Laboratory)

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-120122-010	15/01/2022

Issued To: Shri Maa Girija Stone Crusher
Address: Village - Tallagaon, Tehsil - Betalghat, District - Nainital, Uttarakhand

Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory
Date of Sampling : 11/01/2022
Sample Description : Ambient Air
Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08
Analysis Duration : 12/01/2022 to 15/01/2022
Sampling Location : 10 meter away from Crushing Unit
Average Flow Rate of SPM (m³/min.) : 1.10
Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0
Sampling Instrument Used : Respirable Dust Sampler
Weather Condition : Clear

TEST RESULT					
S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	374.0	µg /m ³	600.0

Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY

AUTHORIZED SIGNATORY



Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttarakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Katgodam, Haldwani, Uttarakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www.noidalabs.com